

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 नवम्बर 2010—कार्तिक 14, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरस्त्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2010

प्राधिकरण में निम्नानुसार प्राधिकारी होंगे :—

1. कलेक्टर, जिला खरगौन अध्यक्ष
2. अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महेश्वर (राजस्व)।

अनुसूची

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमाएं

क्र. एफ 3-50-2010-बत्तीस.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह समीचीन है कि महेश्वर एवं मण्डलेश्वर क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाय।

अतः, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 64 की उपधारा (1), (2) एवं धारा 65(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, महेश्वर एवं मण्डलेश्वर, नगर पंचायत क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अभिहित करती है जो महेश्वर-मण्डलेश्वर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जायेगा।

राज्य शासन द्वारा अधिसूचित महेश्वर एवं मण्डलेश्वर, नगर पंचायत क्षेत्र की सीमाएं उक्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र होगा। दोनों नगर पंचायत के मध्य के ग्रामीण क्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में सम्मिलित नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव।

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-3-74-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 जुलाई 2010 को प्रश्न-पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर
जबलपुर संभाग**

1	श्री रघुवर शाह उड़िके	सहायक संचालक
	निम्नस्तर	

इन्दौर संभाग

1	श्री कैलाश माल	प्रबंधक
---	----------------	---------

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-3-76-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जुलाई 2010 को प्रश्न-पत्र खनिज प्रबन्ध (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर
रीवा संभाग**

1	श्री बंसत राम	सहायक भौमिकी विद्
---	---------------	-------------------

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-3-55-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 20 जुलाई 2010 को प्रश्न-पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-बी एवं सी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर
रीवा संभाग**

1	सुश्री विमलेश सिंह पन्ड्रो	डिप्टी कलेक्टर
---	----------------------------	----------------

(1) (2) (3)

इन्दौर संभाग

2	श्री ओमप्रकाश बैड़ा	राजस्व निरीक्षक
3	श्री विनय मोहन तिवारी	राजस्व निरीक्षक

भोपाल संभाग

4	कु. लता शरणागत	डिप्टी कलेक्टर
5	श्री अभिषेक सिंह	सहायक कलेक्टर
6	श्री तरुण कुमार पिथोड़े	सहायक कलेक्टर
7	श्री अविनाश लवानिया	सहायक कलेक्टर
8	श्री अजय गुप्ता	सहायक कलेक्टर
9	श्री तेजस्वी एस. नायर	सहायक कलेक्टर
10	श्री अमित तौमर	सहायक कलेक्टर
11	कु. प्रियंका दास	सहायक कलेक्टर
12	श्री इलैयराजा टी.	सहायक कलेक्टर
13	श्री धनराजू एस.	सहायक कलेक्टर
14	श्री मेहताब सिंह	डिप्टी कलेक्टर
15	सुश्री सूफिया फारूकी	सहायक कलेक्टर
16	श्री रिकेश कुमार वैश्य	डिप्टी कलेक्टर

निम्नस्तर

सागर संभाग

1	श्री रमेश कुमार जैन	नायब तहसीलदार
---	---------------------	---------------

होशंगाबाद संभाग

2	श्री पूनमचंद जांगडे	अधीक्षक, भू-अभिलेख
---	---------------------	--------------------

रीवा संभाग

3	श्री भूवेश्वर सिंह	राजस्व निरीक्षक
4	श्री संतोष कुमार अरिहा	राजस्व निरीक्षक
5	श्री रामकनेश साकेत	राजस्व निरीक्षक
6	श्री राजेन्द्र प्रसाद मांझी	राजस्व निरीक्षक
7	श्री कौशल सिंह	राजस्व निरीक्षक
8	श्री रामसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
9	श्री ललित कुमार धार्वे	राजस्व निरीक्षक
10	श्री राजेन्द्र दास पनिका	राजस्व निरीक्षक

खालियर संभाग

11	श्री मुकेश शर्मा	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख
12	श्री मनोज दिवाकर	राजस्व निरीक्षक
13	श्री दर्शनलाल	राजस्व निरीक्षक
14	श्री लोकमण शाक्य	राजस्व निरीक्षक
15	श्री महेश कुमार माहौर	राजस्व निरीक्षक
16	श्री रामकुमार जाटव	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
17	श्री श्यामबाबू सिरोठिया	राजस्व निरीक्षक	53	श्री तेजस्वी एस. नाथर	सहायक कलेक्टर
18	श्री शत्रुहन सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक	54	श्री ओमप्रकाश बनोट	सहायक कलेक्टर
19	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	राजस्व निरीक्षक	55	श्री सुशील कुमार	नायब तहसीलदार
20	श्री अरुण कुमार मिश्रा	राजस्व निरीक्षक	56	श्री नवलकिशोर प्रभाकर	वरिष्ठ श्रेणी पारगामी
21	श्री कृष्ण कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक	57	श्री लुहारसिंह चिचाम	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख
इन्दौर संभाग					
22	श्री बिहारीलाल कुमारवत	राजस्व निरीक्षक	58	श्री महिप किशोर तेजस्वी	डिप्टी कलेक्टर
23	श्री उदयसिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक	59	श्री ब्रजेश सक्सेना	नायब तहसीलदार
24	श्री माधवसिंह रावत	राजस्व निरीक्षक	60	श्रीमती शोभा बांगडे	अधीक्षक
25	श्री बारसिंह डुडवे	नायब तहसीलदार	क्र. एफ-3-59-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 जुलाई 2010 को प्रश्न-पत्र तृतीय-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—		
26	श्री जगन्नाथ सालवे	नायब तहसीलदार	अनु. परीक्षार्थी का नाम		
27	श्री आपसिंह कटारा	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख	पदनाम		
28	श्री महेन्द्र गोडे	राजस्व निरीक्षक	(1) (2)		
29	श्री सुखराम गोलकर	राजस्व निरीक्षक	(3)		
30	श्री मुकेश सोनी	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर		
31	श्री दिलीप गंगराडे	राजस्व निरीक्षक	भोपाल संभाग		
32	श्री राजेश जमरा	राजस्व निरीक्षक	1	श्री रामजी तिवारी	राजस्व निरीक्षक
33	श्री रेमसिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	2	श्री अभिषेक सिंह	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)
34	श्री शिवाकान्त पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक	3	श्री तरुण कुमार पिथोडे	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)
35	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक	4	श्री अविनाश लवानिया	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)
36	श्री रमेश चौधरी	राजस्व निरीक्षक	5	श्री अमित तौमर	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)
37	श्री रमेशचंद दोगने	राजस्व निरीक्षक	6	श्री धनराजू एस.	सहायक कलेक्टर
38	श्री पुरुषोत्तम लाडे	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख	7	श्री सुशील कुमार	नायब तहसीलदार
39	श्री बालचन्द देवनिया	राजस्व निरीक्षक	निम्न स्तर		
40	श्री अरविन्द पाराशर	राजस्व निरीक्षक	इन्दौर संभाग		
41	श्री रामेश्वर खेरदे	राजस्व निरीक्षक	1	श्री नरेश कुमार शर्मा	सहा. अधि. भू-अभिलेख
42	श्री कुवंर सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक	2	श्री महेन्द्र गौडे	राजस्व निरीक्षक
43	श्री नंदकिशोर मालवीय	राजस्व निरीक्षक	3	श्री ओमप्रकाश बैड़ा	राजस्व निरीक्षक
44	श्री विष्णु प्रसाद पाटीदार	राजस्व निरीक्षक	4	श्री सुखराम गोलकर	राजस्व निरीक्षक
45	श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी	राजस्व निरीक्षक	5	श्री जगन्नाथ वास्कले	राजस्व निरीक्षक
46	श्री रविन्द्र सिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक	6	श्री विजेन्द्र राठौर	राजस्व निरीक्षक
जबलपुर संभाग					
47	श्री जगभान शाह उर्फे	राजस्व निरीक्षक	7	श्री राम कास्डे	राजस्व निरीक्षक
48	श्री चैनसिंह मार्कों	राजस्व निरीक्षक	8	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
उज्जैन संभाग					
49	श्री एच. एस. धुर्वे	नायब तहसीलदार	9	श्री महेन्द्र चौहान	राजस्व निरीक्षक
50	श्री जगदीश कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक	10	श्री रणजीत सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
भोपाल संभाग					
51	श्री राजेश राम	राजस्व निरीक्षक	11	श्री रमेशसिंह सिसोदिया	राजस्व निरीक्षक
52	सुश्री प्रति मैथिल	सहायक कलेक्टर	12	श्री रामदास मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)																											
ग्वालियर संभाग																																
13	श्री देवीसिंह तौमर	राजस्व निरीक्षक	11	श्री लालबाबू गोयल	सहायक वन संरक्षक																											
सागर संभाग																																
14	श्री धनीराम गौड़	राजस्व निरीक्षक	12	श्री ए.ल. पी. शर्मा	सहायक वन संरक्षक																											
भोपाल संभाग																																
15	श्री गोपाल प्रसाद प्रजाति	राजस्व निरीक्षक	13	श्री चं. आर. अहिरवारी	सहायक वन संरक्षक																											
16	श्री राजेश राम	राजस्व निरीक्षक	14	श्री शीतल प्रसाद शाक्य	वन क्षेत्रपाल																											
17	सुश्री प्रीति मैथिल	सहायक कलेक्टर	इंदौर संभाग																													
18	श्री अजय गुप्ता	सहायक कलेक्टर	15	श्री भीमा मण्डलोई	सहायक वन संरक्षक																											
19	श्री तेजस्वी एस. नायक	सहायक कलेक्टर	16	श्री नानसिंह मेहता	सहायक वन संरक्षक																											
20	श्री श्रीकान्त बनोट	सहायक कलेक्टर	17	श्री प्रदीप कुमार पाराशर	वन क्षेत्रपाल																											
21	सुश्री प्रियंका दास	सहायक कलेक्टर	18	श्री आर. एन. सक्सेना	सहायक वन संरक्षक																											
22	श्री इलैयराजा टी	सहायक कलेक्टर	19	श्री राम कुमार गुप्ता	सहायक वन संरक्षक																											
23	श्री लटुरीलाल करोरिया	सहा. अधी. भू-अभिलेख	क्र. एफ-3-61-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 जुलाई 2010 को प्रश्न-पत्र तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—																													
24	श्री नवल किशोर प्रभाकर	वरिष्ठ श्रेणी पारगामी	अनु. परीक्षार्थी का नाम पदनाम																													
25	श्री लुहारसिंह चिचाम	अधीक्षक, भू-अभिलेख	(1)	(2)	(3)	भोपाल संभाग																										
26	श्री रामप्रकाश नागर	राजस्व निरीक्षक	1	श्री रामशरण गुप्ता	सहायक वन संरक्षक	पदनाम																										
27	श्रीमती अलका सिंह	नायब तहसीलदार	2	श्री आर. एन. साहू	सहायक वन संरक्षक	अनु. परीक्षार्थी का नाम																										
28	श्री महिप किशोर तेजस्वी	डिप्टी कलेक्टर	3	श्री अशोक कुमार शर्मा	सहायक वन संरक्षक	पदनाम																										
29	श्री मोतीलाल अहिरवार	नायब तहसीलदार	4	श्री मधुसूदन	सहायक वन संरक्षक	(1) (2) (3)																										
30	सुश्री सूफिया फारूकी	सहायक कलेक्टर	5	श्री आर. के. गुप्ता	सहायक वन संरक्षक	भोपाल संभाग																										
क्र. एफ-3-60-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 जुलाई 2010 को प्रश्न-पत्र तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—						6	श्री ए. के. दीक्षित	वन क्षेत्रपाल	सहायक वन संरक्षक																							
अनु. परीक्षार्थी का नाम पदनाम						7	श्री कालीचरण भल्ला	सहायक वन संरक्षक	सहायक वन संरक्षक																							
(1)	(2)	(3)	भोपाल संभाग			8	श्री विनोद कुमार सक्सेना	सहायक वन संरक्षक	अनु. परीक्षार्थी का नाम																							
भोपाल संभाग						9	श्री ओंकार सिंह मर्सकोले	सहायक वन संरक्षक	पदनाम																							
1	श्री रामशरण गुप्ता	सहायक वन संरक्षक	10	श्री एस. एल. साकेत	सहायक वन संरक्षक	(1) (2) (3)						अनु. परीक्षार्थी का नाम																				
2	श्री अशोक कुमार शर्मा	सहायक वन संरक्षक	11	श्री जे. सी. राबरा	सहायक वन संरक्षक	पदनाम						(1) (2) (3)																				
3	श्री ए. के. दीक्षित	वन क्षेत्रपाल	रीवा संभाग						अनु. परीक्षार्थी का नाम						पदनाम																	
4	श्री कालीचरण भल्ला	सहायक वन संरक्षक	रीवा संभाग						(1) (2) (3)						अनु. परीक्षार्थी का नाम																	
जबलपुर संभाग						12	श्री राजीव कुमार शर्मा	सहायक वन संरक्षक	पदनाम						(1) (2) (3)																	
5	श्री जगदीश प्रसाद शिवहरे	सहायक वन संरक्षक	13	श्री योगेश कुमार तिवारी	सहायक वन संरक्षक	अनु. परीक्षार्थी का नाम						पदनाम						(1) (2) (3)														
6	श्री एस. के. किनकर	वन क्षेत्रपाल	14	श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला	सहायक वन संरक्षक	रीवा संभाग						अनु. परीक्षार्थी का नाम						पदनाम														
सागर संभाग						15	श्री जी. आर. सिंह	वन क्षेत्रपाल	(1) (2) (3)						अनु. परीक्षार्थी का नाम						पदनाम											
7	श्री संतोष कुमार कटारे	सहायक वन संरक्षक	16	श्री आर. के. शुक्ला	सहायक वन संरक्षक	अनु. परीक्षार्थी का नाम						पदनाम						(1) (2) (3)						अनु. परीक्षार्थी का नाम								
रीवा संभाग						17	श्री आबिद खान	सहायक वन संरक्षक	अनु. परीक्षार्थी का नाम						पदनाम						(1) (2) (3)						अनु. परीक्षार्थी का नाम					
8	श्री योगेश कुमार तिवारी	सहायक वन संरक्षक	18	श्री कमलकान्त त्रिवेदी	सहायक वन संरक्षक	अनु. परीक्षार्थी का नाम						पदनाम						(1) (2) (3)						अनु. परीक्षार्थी का नाम								
9	श्री व्ही. के. दुबे	सहायक वन संरक्षक	19	श्री एस. के. किनकर	सहायक वन संरक्षक	अनु. परीक्षार्थी का नाम						पदनाम						(1) (2) (3)						अनु. परीक्षार्थी का नाम								
जबलपुर संभाग						उज्जैन संभाग						(1) (2) (3)						अनु. परीक्षार्थी का नाम						पदनाम								
10	श्री संदीप शुक्ला	सहायक वन संरक्षक	20	श्री अरुण कुमार भार्गव	वन क्षेत्रपाल	अनु. परीक्षार्थी का नाम						पदनाम						(1) (2) (3)						अनु. परीक्षार्थी का नाम								

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
ग्रालियर संभाग			भोपाल संभाग		
21	श्री संदीप शुक्ला	सहायक वन संरक्षक	14	श्री अजय गुप्ता	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)
22	श्री लालबाबू गोयल	सहायक वन संरक्षक	15	श्री तेजस्वी एस. नागर	सहायक कलेक्टर
23	श्री एल. पी. शर्मा	सहायक वन संरक्षक	16	श्री अमित तौमर	सहायक कलेक्टर
24	श्री शीतल प्रसाद शाक्य	वन क्षेत्रपाल	17	श्री श्रीकान्त बनोट	सहायक कलेक्टर
इंदौर संभाग			18	सुश्री प्रियंका दास	सहायक कलेक्टर
25	श्री नानसिंह मेहता	सहायक वन संरक्षक	19	श्री इलैयराजा टी.	सहायक कलेक्टर
26	श्री आर. सी. वर्मा	सहायक वन संरक्षक	20	श्री धनराजू एस.	सहायक कलेक्टर
<p>क्र. एफ-3-69-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 20 जुलाई 2010 को प्रश्न-पत्र द्वितीय-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—</p>					
अनु. परीक्षार्थी का नाम		पदनाम	इंदौर संभाग		
(1)	(2)	(3)	28	श्री सुन्दरलाल ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
उच्चस्तर			29	श्री रामेश्वर खेरदे	राजस्व निरीक्षक
रीवा संभाग			30	श्री विजेन्द्र राठौर	राजस्व निरीक्षक
1	श्री मधुकर प्रसाद पाण्डे	सहा. अधी., भू-अभिलेख	31	श्री दिलीप गंगराडे	राजस्व निरीक्षक
2	श्री विश्वम्भर सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)	निम्नस्तर		
3	श्री अमरसिंह उर्इके	जिला संयोजक (सत्रेय)	रीवा संभाग		
जबलपुर संभाग			1	श्री भूवनेश्वर सिंह	राजस्व निरीक्षक
4	श्री संजय कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक	2	श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
उच्चजैन संभाग			3	श्री राजेन्द्र प्रसाद मांझी	राजस्व निरीक्षक
5	श्री एच. एस. धुर्वे	नायब तहसीलदार	4	श्री बैद्यनाथ पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
6	श्री जगदीश कुमार शर्मा,	सहा. अधी., भू-अभिलेख (सत्रेय).	5	श्री भरत सिंह	राजस्व निरीक्षक
ग्रालियर संभाग			6	श्री मानसिंह आर्मो	राजस्व निरीक्षक
7	श्री भरतलाल पाटिलकर	सहा. अधी., भू-अभिलेख	7	श्री ललित कुमार धार्वे	राजस्व निरीक्षक
8	श्री मनोज दिवाकर	राजस्व निरीक्षक	8	श्री राजेन्द्र दास पनिका	राजस्व निरीक्षक
9	श्री दर्शनलाल	राजस्व निरीक्षक	जबलपुर संभाग		
10	श्री संतोष सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक	9	श्री जगभान शाह उर्इके	राजस्व निरीक्षक
सागर संभाग			10	श्री झामसिंह इरकिया	राजस्व निरीक्षक
11	श्री रमेश चन्द्र जैन	नायब तहसीलदार	11	श्री चैनसिंह मार्कों	राजस्व निरीक्षक
12	श्री ललित वेद	राजस्व निरीक्षक	12	श्री प्रेमचंद मर्सकोले	राजस्व निरीक्षक
13	श्री महेन्द्र प्रताप उर्दैनिया	राजस्व निरीक्षक	उच्चजैन संभाग		
उच्चजैन संभाग			13	श्रीमती शकुन्तला डामोर	जिला संयोजक

(1)	(2)	(3)			
ग्वालियर संभाग			क्र. एफ-३-८४-२०१०-दोए (३).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के तिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 जुलाई 2010 को प्रश्न-पत्र सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—		
			अनु. परीक्षार्थी का नाम पदनाम		
14	श्री राकेश कुमार दोडी	राजस्व निरीक्षक	(1)	(2)	(3)
15	श्री सुरेश यादव	राजस्व निरीक्षक			
16	श्री विमल कुमार कुलश्रेष्ठ	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर रीवा संभाग		
17	श्री गोपाल सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक			
18	श्री शिवदयाल शर्मा	राजस्व निरीक्षक			
19	श्री मुन्नालाल गौड़	राजस्व निरीक्षक			
20	श्री नरेन्द्र कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक			
21	श्री उमरावसिंह ठाकुर	सहा. अधी., भू-अभिलेख			
22	श्री लालसिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक			
23	श्री लोकमणि शाक्य	राजस्व निरीक्षक			
24	श्री मुकेश कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक			
सागर संभाग			सागर संभाग		
25	श्री अशोक कुमार मौर्य	नायब तहसीलदार	1	श्री मानसिंह आर्मो	राजस्व निरीक्षक
26	श्री चन्द्रकुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक			
होशंगाबाद संभाग			भोपाल संभाग		
27	श्री पूनमचन्द्र जांगड़े	अधीक्षक, भू-अभिलेख	2	श्री राजकुमार खन्ना	डिप्टी कलेक्टर (सत्रेय)
भोपाल संभाग			3	श्री रमेश जैन	नायब तहसीलदार (सत्रेय)
28	श्री लटुरीलाल करोरिया	सहा. अधी., भू-अभिलेख	4	श्री महेन्द्र प्रताप उदेनिया	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)
29	श्रीमती अलका सिंह	नायब तहसीलदार			
30	श्री राजेश राम	राजस्व निरीक्षक			
इन्दौर संभाग			इन्दौर संभाग		
31	श्री रामेश चन्द्र दोगने	राजस्व निरीक्षक	5	कु. प्रियंका दास	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)
32	श्री बालचंद देवलिया	राजस्व निरीक्षक	6	श्री इलैयराजा टी.	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)
33	श्री कुंवर सिंह चौहान	सहा. अधी., भू-अभिलेख	7	श्री धनराजू एस.	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)
34	श्री विनोद कुमार यादव	राजस्व निरीक्षक	8	श्री सुशील कुमार	नायब तहसीलदार
35	श्री विष्णु प्रसाद पाटीदार	राजस्व निरीक्षक	9	श्री अलका सिंह	नायब तहसीलदार
36	श्री गजेन्द्र सिंह सोलंकी	राजस्व निरीक्षक	10	श्री महीप किशोर तेजस्वी	डिप्टी कलेक्टर (सत्रेय)
37	श्री बालकिशोर सालवी	राजस्व निरीक्षक	11	सुश्री सूफिया फारूकी	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)
38	श्री उदयसिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक	12	कु. बंदना मेहरा	डिप्टी कलेक्टर
39	श्री माधवसिंह रावत	अधीक्षक, भू-अभिलेख	13	श्री अखिलेख कुमार जैन	डिप्टी कलेक्टर (सत्रेय)
40	श्री बारसिंह डुडवे	राजस्व निरीक्षक	14	श्री नरोत्तम प्रसाद भार्गव	डिप्टी कलेक्टर (सत्रेय)
41	श्री नरेश कुमार शर्मा	सहा. अधी., भू-अभिलेख	15	श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर	डिप्टी कलेक्टर (सत्रेय)
42	श्री सुखराम गोलकर	राजस्व निरीक्षक	16	श्री अभिषेक सिंह	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)
43	श्री जगन्नाथ वास्कले	राजस्व निरीक्षक	17	श्री तरुण कुमार पिछोड़	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)
44	श्री राजेश जमरा	राजस्व निरीक्षक	18	श्री अविनाश लवानिया	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)
45	श्री रेमसिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	19	कु. प्रीति मैथिल	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)
46	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक	20	श्री अजय गुप्ता	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)
47	श्री रमेश चौधरी	राजस्व निरीक्षक	21	श्री तेजस्वी एस. नायर	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)
			22	श्री अमित तोमर	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)
			23	श्री श्रीकान्त बनोट	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)
इन्दौर संभाग			इन्दौर संभाग		
24	श्री रामेश्वर खेरदे	राजस्व निरीक्षक	24	श्री राजस्व निरीक्षक	
25	श्री कुंवर सिंह चौहान	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख	25	श्री कुंवर सिंह चौहान	
26	श्री राजेश सरवटे	राजस्व निरीक्षक	26	श्री नंदकिशोर मालवीय	
27	श्री नंदकिशोर सालवी	राजस्व निरीक्षक	27	श्री बालकिशोर सालवी	
28	श्री अभय सिंह खरारी	राजस्व निरीक्षक	28	श्री अभय सिंह खरारी	
29	डॉ. अभय सिंह खरारी	डिप्टी कलेक्टर (सत्रेय)	29	डॉ. अभय सिंह खरारी	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
30	श्री विशाल चौहान	डिप्टी कलेक्टर (सत्रेय)			जबलपुर संभाग
31	श्री महेन्द्र गौड़	राजस्व निरीक्षक	10	श्री प्रबोण फुलपारे	डिप्टी कलेक्टर
32	श्री विजेन्द्र राठौर	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)	11	श्री झाम सिंह झाकिया	राजस्व निरीक्षक
33	श्री सुरेश चन्द्र जैन	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	12	श्री जगभान शाह उईके	राजस्व निरीक्षक
34	श्री दिलीप गंगराडे	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)	13	श्री के. बी. रघुवंशी	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख
35	श्री राजेश जमरा	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)	14	श्री वीरसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
36	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)	15	श्री उमराव सिंह ठाकुर	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख
37	श्री शिवाकान्त पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)	16	श्री प्रेमचन्द्र मर्सकोले	राजस्व निरीक्षक
38	श्री विनय मोहन तिवारी	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)			इन्दौर संभाग
39	श्री रमेश चौधरी	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)	17	श्री सुखराम गोलकर	राजस्व निरीक्षक
40	श्री रमेश चन्द्र दोगने	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)	18	श्री विनोद कुमार यादव	राजस्व निरीक्षक
41	श्री दीपक कुमार गीते	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)	19	श्री गजेन्द्र सिंह सोलंकी	राजस्व निरीक्षक
42	श्री सुन्दरलाल ठाकुर	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)			क्र. एफ-3-87-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 23 जुलाई 2010 को प्रश्न-पत्र पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—
43	श्री मोहम्मद अय्याज	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)			
44	श्री ओमप्रकाश पाण्डेय	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख			
45	श्री अरविन्द पाराशर	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)			
46	श्री मोबिन खान	राजस्व निरीक्षक			
47	श्री उदयसिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)			
48	श्री माधवसिंह रावत	नायब तहसीलदार (सत्रेय)			
49	श्री बारसिंह डुडवे	नायब तहसीलदार (सत्रेय)			
50	श्री जगन्नाथ आलवे	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)			
51	श्री नरेश कुमार शर्मा	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख (सत्रेय).			
जबलपुर संभाग					
52	कु. सुनीता खण्डायत	डिप्टी कलेक्टर			
निम्नस्तर					
रीवा संभाग					
1	श्री मधुकर प्रसाद पाण्डेय	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख			
2	श्री विश्वभर सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक			
3	श्री ललीत कुमार धार्वे	राजस्व निरीक्षक			
रवालियर संभाग					
4	श्री राकेश कुमार दोड़ी	राजस्व निरीक्षक			
5	श्री मुन्नालाल गौड़	राजस्व निरीक्षक			
भोपाल संभाग					
6	श्री लटुरीलाल करोलिया	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख			
7	श्री लुहारसिंह चिचाम	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख			
8	श्री मेहताब सिंह	डिप्टी कलेक्टर			
9	श्री राजेश राम	राजस्व निरीक्षक			
सागर संभाग					
3	श्री महेन्द्र प्रताप उदैनिया	राजस्व निरीक्षक			
4	श्री रमेश कुमार जैन	नायब तहसीलदार (सत्रेय)			
जबलपुर संभाग					
5	श्रीमती वत्सला शिवहरे	विकासखण्ड अधिकारी			
उज्जैन संभाग					
6	श्री जगदीश कुमार शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (सत्रेय)			
इन्दौर संभाग					
7	श्री उदयसिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)			
8	श्री माधवसिंह रावत	अधीक्षक, भू-अभिलेख			
9	श्री मगनसिंह मण्डलोई	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख			
10	श्री विजेन्द्र राठौर	राजस्व निरीक्षक			
11	श्री दिलीप गंगराडे	राजस्व निरीक्षक			
12	श्री राजेश जमरा	राजस्व निरीक्षक			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
13	श्री रेमसिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	11	श्री राजेन्द्र दास पनिका	राजस्व निरीक्षक
14	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)	12	श्री भूबेनेश्वर सिंह	राजस्व निरीक्षक
15	श्री रमेश चौधरी	राजस्व निरीक्षक	13	श्री हरिहर प्रसाद पनिका	राजस्व निरीक्षक
16	श्री पुरुषोत्तम लाड़	राजस्व निरीक्षक	14	श्री विश्वम्भर सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
17	श्री धीरेश प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक	15	श्री ललित कुमार धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
18	श्री मोहम्मद अयाज	राजस्व निरीक्षक	16	श्री गंगाराम पनिका	राजस्व निरीक्षक
19	श्री अरविन्द पाराशर	राजस्व निरीक्षक	17	श्री भरत सिंह	राजस्व निरीक्षक
20	श्री रामेश्वर खेरदे	राजस्व निरीक्षक	18	श्री मानसिंह आर्मो	राजस्व निरीक्षक
21	श्री विनोद कुमार यादव	राजस्व निरीक्षक	19	श्री राजेन्द्र प्रसाद मांझी	राजस्व निरीक्षक
22	श्री बालकिशोर सालवी	राजस्व निरीक्षक			
23	श्री देवकुंवर जामोद	नायब तहसीलदार			
24	श्री राजेन्द्र सिंह	अधीक्षक, भू-अभिलेख (सत्रेय)			
		भोपाल संभाग			
25	श्री अभिषेक सिंह	सहायक कलेक्टर			
26	श्री तरुण कुमार पिछोड़	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)			
27	श्री अनिवाश लवानिया	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)			
28	कु. प्रीति मैथिल	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)			
29	श्री अजय गुप्ता	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)			
30	श्री तेजस्वी एस. नायर	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)			
31	श्री अमित तौमर	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)			
32	श्री श्रीकान्त बनोट	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)			
33	सुश्री प्रियंका दास	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)			
34	श्री इतेयराजा टी.	सहायक कलेक्टर (सत्रेय)			
35	श्री धनुराजू एस.	सहायक कलेक्टर			
36	श्री सुशील कुमार	नायब तहसीलदार			
37	श्री महीप किशोर तेजस्वी	डिप्टी कलेक्टर (सत्रेय)			
38	श्री एम. एल. अहिंवार	नायब तहसीलदार			
39	श्री ब्रजेश सक्सेना	नायब तहसीलदार (सत्रेय)			
40	श्रीमती सूफिया फारूकी	सहायक कलेक्टर			
		निम्नस्तर			
		ग्रामियर संभाग			
1	श्री नरेन्द्र खेरे	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख			
2	श्री मोज दिवाकर	राजस्व निरीक्षक			
3	श्री लोकमणि शाक्य	राजस्व निरीक्षक			
4	श्री शत्रुहन सिंह चौहान	नायब तहसीलदार			
5	श्री गोपाल सिंह तौमर	राजस्व निरीक्षक			
6	श्री मोहनलाल गुप्ता	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख			
		रीवा संभाग			
7	श्री रामप्यारे लाल पुरी	अधीक्षक, भू-अभि.			
8	श्री चमनलाल धुर्वे	अधीक्षक, भू-अभि.			
9	श्री मधुकर प्रसाद पाण्डेय	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख			
10	श्री वीरेन्द्र कुमार सोनी	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख			
		भोपाल संभाग			
11	श्री राजेन्द्र दास पनिका	राजस्व निरीक्षक			
12	श्री भूबेनेश्वर सिंह	राजस्व निरीक्षक			
13	श्री हरिहर प्रसाद पनिका	राजस्व निरीक्षक			
14	श्री विश्वम्भर सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक			
15	श्री ललित कुमार धुर्वे	राजस्व निरीक्षक			
16	श्री गंगाराम पनिका	राजस्व निरीक्षक			
17	श्री भरत सिंह	राजस्व निरीक्षक			
18	श्री मानसिंह आर्मो	राजस्व निरीक्षक			
19	श्री राजेन्द्र प्रसाद मांझी	राजस्व निरीक्षक			
		सागर संभाग			
20	श्री ललित वेद	राजस्व निरीक्षक			
21	श्री बैजनाथ सिंह मरावी	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख			
		जबलपुर संभाग			
22	श्री नरेन्द्र कुमार खेरे	राजस्व निरीक्षक			
23	श्री नारदसिंह पद्मे	राजस्व निरीक्षक			
24	श्री प्रेमचंद मर्सकोले	राजस्व निरीक्षक			
25	श्री के. बी. रघुवंशी	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख			
26	श्री संजय कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक			
27	श्री रामकृष्ण साहू	राजस्व निरीक्षक			
28	श्री चैनसिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक			
29	श्री झामसिंह	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख			
30	श्री जगभान शाह उईके	राजस्व निरीक्षक			
31	श्री प्रमोद कुमार उपगढे	राजस्व निरीक्षक			
		उज्जैन संभाग			
32	श्री एच. एस. धुर्वे	नायब तहसीलदार			
		इन्दौर संभाग			
33	श्री बारसिंह डुडवे	नायब तहसीलदार			
34	श्री जगन्नाथ सालवे	नायब तहसीलदार			
35	श्री नरेश कुमार शर्मा	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख			
36	श्री रमेशचन्द्र दोगने	राजस्व निरीक्षक			
37	श्री दीपक कुमार गीते	राजस्व निरीक्षक			
38	श्री सुन्दरलाल ठाकुर	राजस्व निरीक्षक			
39	श्री बालचन्द्र देवलिया	राजस्व निरीक्षक			
40	श्री ओमप्रकाश पाण्डे	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख			
41	श्री राजेश सरवटे	राजस्व निरीक्षक			
42	श्री गजेन्द्र सिंह सोलंकी	राजस्व निरीक्षक			
43	श्री भीलू राम फगोरे	नायब तहसीलदार			
		भोपाल संभाग			
44	श्री रामजी तिवारी	राजस्व निरीक्षक			
45	श्री लटुरीलाल करोरिया	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख			

क्र. एफ-3-88-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 जुलाई 2010 को प्रश्न-पत्र लेखा-प्रथम (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. परीक्षार्थी का नाम पदनाम
(1) (2) (3)

**उच्चस्तर
ग्वालियर संभाग**

1 श्री रामनिवास शर्मा राजस्व निरीक्षक

इन्दौर संभाग

2 श्री उदयसिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
3 श्री माधवसिंह रावत	राजस्व निरीक्षक
4 श्री ओमप्रकाश पाण्डेय	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख
6 श्री अरविन्द पाराशर	राजस्व निरीक्षक
7 श्री रामेश्वर खेरदे	राजस्व निरीक्षक
8 श्री राजेश सरवटे	राजस्व निरीक्षक
9 श्री सुखराम गोलकर	राजस्व निरीक्षक
10 श्री विजेन्द्र राठौर	राजस्व निरीक्षक

**निम्नस्तर
रीवा संभाग**

1 श्री राजेश प्रसाद मांझी राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

2 श्री अशोक कुमार सक्सेना	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख
3 श्री विमल कुमार कुलश्रेष्ठ	राजस्व निरीक्षक
4 श्री गोपाल सिंह तौमर	राजस्व निरीक्षक

सागर संभाग

5 श्री रमेश कुमार जैन	नायब तहसीलदार
6 श्री धनीराम गौड़	राजस्व निरीक्षक
7 श्री महेन्द्र प्रताप उद्यैनिया	राजस्व निरीक्षक

इन्दौर संभाग

8 श्री जगन्नाथ सालवे	नायब तहसीलदार
9 श्री रमेशचन्द्र दोगने	राजस्व निरीक्षक
10 श्री दीपक कुमार गोते	राजस्व निरीक्षक
11 श्री सुन्दरलाल ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
12 श्री महेन्द्र सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक

(1) (2) (3)

13 श्री गजेन्द्र सिंह सोलंकी	राजस्व निरीक्षक
14 श्री कुलदीप खेडे	
15 श्री दिलीप गंगराडे	राजस्व निरीक्षक
16 श्री राजेश रमरा	राजस्व निरीक्षक
17 श्री रमेश चौधरी	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

18 श्रीमती पुष्पा मरावी	अधीक्षक
19 श्री ज्ञामसिंह इरकिया	राजस्व निरीक्षक
20 श्री के. बी. रघुवंशी	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख

उज्जैन संभाग

21 श्री जगदीश कुमार शर्मा सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख

भोपाल संभाग

22 श्री धनराजू एस.	सहायक कलेक्टर
23 सुश्री सूफिया फारूकी	सहायक कलेक्टर
24 श्री महिप किशोर तेजस्वी	डिप्टी कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अम्बरीष श्रीवास्तव, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

फा. क्र. 17-(ई) 2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायालीश, श्योपुर की सेवाएं, संचालक, लोक अभियोजन, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

फा.-क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब (एक) दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में अनुक्रमांक 25, 26, 40, 48 तथा 49 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित

अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं,
अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक सेशन न्यायाधीश/
अतिरिक्त न्यायाधीश

स्थानीय क्षेत्र

(1)	(2)	(3)
“25. सेशन न्यायाधीश, कटनी		कटनी
26. सेशन न्यायाधीश, मंडला		मंडला
40. सेशन न्यायाधीश, शहडोल		शहडोल
48. सेशन, न्यायाधीश, विदिशा		विदिशा
49. सेशन, न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़ (मंडलेश्वर).	पश्चिम निमाड़ (मंडलेश्वर) ”	

लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश नायक, सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

फा.क्र. 1(बी)-4-2010-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री ज्ञानेन्द्र तिवारी पुत्र श्री सत्यनारायण तिवारी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये कटनी सत्र खण्ड के कटनी, राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा.क्र. 1(बी)-8-04-इक्कीस-ब(दो)—संशोधित आदेश.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के लोक अभियोजक की नियुक्ति समसच्चाक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2010 के पृष्ठांकन आदेश के सरल क्र. 2 में लिपिकीय त्रुटिवश श्री शिव बिहारी श्रीवास्तव अंकित हो गया है. अतः उसके स्थान पर श्री किशोर श्रीवास्तव पुत्र श्री शिव बिहारी श्रीवास्तव पढ़ा जावें.

फा.क्र. 1(बी)-8-04-इक्कीस-ब(दो)—संशोधित आदेश.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के शासकीय अभिभाषक की नियुक्ति समसच्चाक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2010 के पृष्ठांकन आदेश के सरल क्र. 3 में लिपिकीय त्रुटिवश श्री शिव बिहारी श्रीवास्तव अंकित हो गया है. अतः उसके स्थान पर श्री किशोर श्रीवास्तव पुत्र श्री शिव बिहारी श्रीवास्तव पढ़ा जावें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. र्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

फा.क्र. 1(बी)-41-04-इक्कीस-ब(दो)—संशोधित आदेश.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसच्चाक आदेश दिनांक 23 जुलाई 2010 की पंक्ति 3 में दिनांक 19-11-08 से तीन वर्ष 18-11-2011 अंकित हो गया है. अतः उसके स्थान पर दिनांक 15-10-2009 से 14-10-2012 पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भूपेन्द्र कुमार निगम, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

फा.क्र. 1(बी)-8-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री किशोर श्रीवास्तव पुत्र श्री शिवबिहारी श्रीवास्तव, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पन्ना सत्र खण्ड के पन्ना राजस्व जिले के लिये

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-25-44-2010-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई वनभूमि/बंजर भूमि पर लागू होने की घोषणा इन शर्तों के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों एवं समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ, तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जाएं, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेंगे :—

अनुसूची

जिला-छतरपुर, तहसील-बिजावर, वनमण्डल-छतरपुर, वन परिक्षेत्र-किशनगढ़

क्र	वनखंड	वन या बंजर	खसरा	रकबा	सीमाएं
	का नाम	भूमि का नाम	क्रमांक	(हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पलकोंहा	1. राजस्व भूमि ग्राम सुकवाहा.	71 भाग 72 भाग 73 74 75 76 भाग 78 भाग 79 भाग 82 भाग 126 125/2 125/3 125/4 125/5 125/6	5.892 6.879 16.187 12.142 12.140 16.167 7.097 5.788 0.566 9.105 0.405 0.129 0.365 0.040 0.040	उत्तर—वन कक्ष क्रमांक पी 535 के मुनारा क्रमांक 46 से 43 तक पूर्व—वन कक्ष क्रमांक पी 535 के मुनारा क्रमांक 43 से प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 एवं 4 तक कृत्रिम सीमा रेखा। दक्षिण—प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 4 से 14 तक कृत्रिम सीमा रेखा। पश्चिम —प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 14 से 15 एवं वन कक्ष क्रमांक पी 525 के मुनारा क्रमांक 53 तक कृत्रिम सीमा रेखा एवं वन कक्ष क्रमांक पी 525 के मुनारा क्रमांक 53 से 50 एवं वन कक्ष क्रमांक पी 535 की सीमा से होकर मुनारा क्रमांक 49 तक। वन कक्ष क्रमांक पी 535 के मुनारा क्रमांक 49 से प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 48 एवं वन कक्ष क्रमांक पी 535 के मुनारा क्रमांक 47 तक कृत्रिम सीमा रेखा तथा वन कक्ष क्रमांक पी 535 के मुनारा क्रमांक 47 से 46 तक।
		योग : वनखंड पलकोंहा		<u>92.942</u>	
2	देवरा 'अ'	2. राजस्व भूमि ग्राम सुकवाहा.	111 112 113 114 115 116 117 118 119	11.796 15.911 15.155 8.142 9.205 7.702 7.843 8.033 7.875	उत्तर—प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 एवं कक्ष क्रमांक पी 442 के मुनारा क्रमांक 119 तक कृत्रिम सीमा रेखा। कक्ष क्रमांक पी 442 के मुनारा क्रमांक 119 वन कक्ष की सीमा से लगकर प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 4 से 8 तक कृत्रिम सीमा रेखा। पूर्व —प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 8 से 14 तक कृत्रिम सीमा रेखा। दक्षिण —प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 14 से 15 तक कृत्रिम सीमा रेखा। पश्चिम —प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 15 से 23 तक श्यामरी नदी की प्राकृतिक सीमा एवं मुनारा क्रमांक 23 से 24 एवं 1 तक कृत्रिम सीमा रेखा।
		योग : वनखंड देवरा 'अ'		<u>91.662</u>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	किशनगढ़	3. राजस्व भूमि	276	12.143	उत्तर—प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
'अ'		ग्राम सुकबाहा.	275 भाग	3.020	पूर्व—प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 3 से 5 तक कृत्रिम सीमा रेखा
			योग :	<u>15.163</u>	दक्षिण —प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 5 से वन कक्ष क्रमांक पी 509 के मुनारा क्रमांक 52 तक तथा वन कक्ष क्रमांक पी 510 की सीमा से होकर प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 6 तक.
4	किशनगढ़	4. राजस्व भूमि	2	6.625	पश्चिम —प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 6 से 7 एवं 1 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
'ब'		ग्राम घुघरी.	3	14.172	उत्तर—श्यामरी नदी के किनारे से प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से 17 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			4	7.543	पूर्व—प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 17 से 64 तक कृत्रिम सीमा रेखा
			5	7.543	दक्षिण —वन कक्ष क्रमांक पी 524 ए तथा पी 523 की उत्तरी सीमा पर नाला किनारे तथा सड़क के सहरे प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 64 से 82 तक कृत्रिम सीमा रेखा. प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 82 से 87 तक कृत्रिम सीमा रेखा. वन कक्ष क्रमांक पी 523 एवं पी 522 की उत्तरी सीमा पर प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 87 से 90 तक कृत्रिम सीमा रेखा. प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 90 से 118 तक कृत्रिम सीमा रेखा श्यामरी नदी तक.
			6	12.140	पश्चिम —प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 118 से 121 तक श्यामरी नदी के किनारे एवं मुनारा क्रमांक 121 से 129 एवं 1 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
			7	9.105	
			8	8.454	
			9	8.369	
			10	9.105	
			11	12.140	
			13	16.187	
			14	12.140	
			15	14.977	
			16	11.181	
			162	12.140	
			163	16.936	
			161	16.187	
			158/1	7.652	
			159	17.708	
			160 भाग	11.793	
			169	16.187	
			185/1	11.553	
			199	8.094	
			198/1	14.944	
			165	4.245	
			168/1	7.365	
			167/1	3.092	
			180/1	13.326	
			182	9.105	
			183	12.140	
			181	12.140	
			184	12.545	
			187/1	13.059	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			197/2	0.518	
			197/3	4.411	
			197/4	0.514	
			197/5	0.607	
			197/6	0.898	
			203	16.187	
			204	16.187	
			206	16.187	
			207	16.187	
			208	11.202	
		209 भाग		12.269	
			17	11.117	
			18	14.156	
			19	7.579	
			20/1	6.779	
			21	5.050	
			22	12.634	
			23	14.087	
			24	12.844	
			25	14.808	
			26/1	11.719	
			179	12.234	
		योग :		<u>588.066</u>	
5.	राजस्व भूमि		107	8.874	
	ग्राम भौरखुआँ.		108	4.244	
			109	7.869	
			110	12.140	
			111	12.140	
			112	5.867	
		113 भाग		6.757	
			114	8.094	
			115	8.094	
			116	2.425	
			117	1.853	
			118	5.272	
			119 भाग	6.049	
			120 भाग	5.665	
		योग :		<u>95.345</u>	
		योग :	वनखंड किशनगढ़	698.572	
			महायोग :	<u>883.176</u>	

बनीकरण का कारण :—उक्त गैर वनभूमि गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित वनभूमि के बदले वन विभाग को हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं क्षतिपूरक बनीकरण हेतु प्राप्त होने से संरक्षित वन बनाये जाने का प्रस्ताव अधिसूचना हेतु तैयार किया गया है।

No. F-25-44-2010-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest land/waste land, specified in the Schedule below subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time :—

SCHEDULE

District—Chhatarpur, **Tehsil**—Bijawar, **Forest Division**—Chhatarpur, **Forest Range**—Kishangarh

S. No	Name of Forest Block	Name of Forest or Waste Land	Khasra Number	Area (in Hectare)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Palkoha	1. Revenue Land Village Sukwaha	71 Part 72 Part 73 74 75 76 Part 78 Part 79 Part 82 Part 126 125/2 125/3 125/4 125/5 125/6	5.892 6.879 16.187 12.142 12.140 16.167 7.097 5.788 0.566 9.105 0.405 0.129 0.365 0.040 0.040	North —Pillar number 46 to 43 of forest compartment number P 535. East —Artificial boundary line from pillar number 43 of forest compartment number P 535 to proposed forest block pillar number 1 to 4. South .—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 4 to 14. West —Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 14 to 15 and pillar number 53 of forest compartment number P 525. Pillar number 53 to 50. of forest compartment number P 525 and through boundary upto pillar number 49 of forest compartment number P. 535. Artificial boundary line from pillar number 49 of forest compartment number P 535 to proposed forest block pillar number 48 A and pillar number 47 of forest compartment number P 535. Pillar number 47 to 46 of forest compartment number P 535.
		Total Forest Block Palkoha		92.942	
2	Devra "A"	2. Revenue Land Village Sukwaha	111 112 113 114 115 116 117 118 119	11.796 15.911 15.155 8.142 9.205 7.702 7.843 8.033 7.875	North —Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 3 and pillar number 119 of forest compartment number 442. Artificial boundary line from pillar number 119 of forest compartment number P 442 and through forest compartment boundary upto proposed forest block pillar number 4 to 8. East —Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 8 to 14. South .—Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 14 to 15. West —Natural boundary of Shyamri River from proposed forest block pillar number 15 to 23 and artificial boundary line from pillar number 23 to 24 and 1.
		Total Forest Block Devra "A"		91.662	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Kishangarh	3. Revenue A Land Village Sukwaha	276 275 part	12.143 3.020	North —Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 3.
			Total :	<u>15.163</u>	East —Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 3 to 5.
					South .— Proposed forest block pillar number 5 to pillar number 52 of forest compartment number P 509 and through boundary of forest compartment number P 510 up to proposed forest block pillar number 6.
					West —Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 6 to 7 and 1.
4	Kishangarh	4. Revenue B Land Village Ghughari	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 162 163 161 158/1 159 160 part 169 185/1 199 198/1 165 168/1 167/1 180/1 182 183 181 184 187/1 197/2	6.625 14.172 7.543 7.543 12.140 9.105 8.454 8.369 9.105 12.140 16.187 12.140 14.977 11.181 12.140 16.936 16.187 7.652 17.708 11.793 16.187 11.533 8.094 14.944 4.245 7.365 3.092 13.326 9.105 12.140 12.140 12.545 13.059 0.518	North —Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 17 on the bank of Shyamri River. East —Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 17 to 64. South .— Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 64 to 82 on northern boundary of forest compartment number P 524 A and P 523 beside the canal and along the road. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 82 to 87. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 87 to 90 on northern boundary of forest compartment number P 523 and P 522. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 90 to 118 upto Shyamari River. West —Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 118 to 121 beside Shyamari. River and Artificial boundary line from pillar number 121 to 129 and pillar number 1.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			197/3	4.411	
			197/4	0.514	
			197/5	0.607	
			197/6	0.898	
			203	16.187	
			204	16.187	
			206	16.187	
			207	16.187	
			208	11.202	
		209 part		12.269	
			17	11.117	
			18	14.156	
			19	7.579	
			20/1	6.779	
			21	5.050	
			22	12.634	
			23	14.087	
			24	12.844	
			25	14.808	
			26/1	11.719	
			179	12.234	
			Total :	588.066	
	5. Revenue		107	8.874	
	Land Village		108	4.244	
	Bhorkhuan		109	7.869	
			110	12.140	
			111	12.140	
			112	5.867	
		113 part		6.757	
			114	8.094	
			115	8.094	
			116	2.425	
			117	1.853	
			118	5.272	
		119 Part		6.049	
		120 Part		5.665	
			Total :	95.345	
			Total Forest	698.572	
			Block Kishangarh		
			Grand Total :	883.176	

Reason for afforestation—Above non forest land has been allotted and transferred to Forest Department for carrying out compensatory afforestation in exchange of equal area of diverted forest land. Notification proposal for protected forest has been prepared.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एन. पाण्डे, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 19 अक्टूबर 2010

क्र.क्यू/एपीडी/2010/12109.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला विदिशा, जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति गंजबासौदा के प्रतिनिधि हेतु निमानुसार नाम निर्दिष्ट करता हूँ :—

क्रमांक	नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता	संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है।	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री ऋतुज एलिया, गंजबासौदा, सदस्य जिला पंचायत, विदिशा.	श्रीमती सुनीता राजेन्द्र सोनकर, अध्यक्ष, जिला पंचायत, विदिशा	1972 की धारा 11 (5)

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 19 अक्टूबर 2010

क्र. रीडर-एडीएम-2010-2015.—प्रबंधक, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. इन्दौर के पत्र दिनांक 18 जून 2010 प्रस्तुत कर एस. व्ही.-31 स्टेशन खेड़ा पचौला, तहसील, तराना को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तराना से जांच प्रतिवेदन चाहा गया।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तराना के प्रतिवेदन दिनांक 16 अगस्त 2010 द्वारा अवगत कराया गया है कि नायब तहसीलदार, तराना द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। ग्राम खेड़ा पचौला का सर्वे नंबर 264 के अंश भाग पर निर्मित एस. व्ही. 31 स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाना उचित होना बताया है।

उपरोक्त प्रतिवेदन अभिमत के आधार पर ग्राम खेड़ा पचौला के सर्वे नंबर 264 पर निर्मित एस. व्ही. -31 स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है।

एम. गीता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 67-4-09-तीन-2825.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2008 (उत्तरार्द्ध) में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, सीधी, जिला सीधी के आम निर्वाचन में सुश्री माला सिंह चंदेल, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगरपालिका परिषद्, सीधी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी 2009 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी के पत्र क्र. 72/स्था.निर्वा./2009, दिनांक 5 मार्च 2009 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री माला सिंह चंदेल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि (विलम्ब से) में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री माला सिंह चंदेल, को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2009 जारी कर

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी के माध्यम से दिनांक 15 जून 2009 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

सुश्री माला सिंह चंदेल को नोटिस दिनांक 15 जून 2009 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 30 जून 2009 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। अभ्यर्थी ने एक अभ्यावेदन दिनांक निरंक जो आयोग कार्यालय में दिनांक 2 जुलाई 2009 को प्राप्त हुआ प्रस्तुत किया, जिसमें लेख किया कि “. . . मेरे द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत किया गया है। विलंब का मुख्य कारण यह है कि मैं कई बार निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने के लिए अधिसूचित अधिकारी के पास गयी थी लेकिन वहां पर अधिकारी से मुलाकात न होने के कारण मैं अपना निर्वाचन व्यय लेखा नहीं जमा कर पायी। मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है इसी बीच मेरी तबियत अचानक ज्यादा खराब हो गई जिसकी बजह से मैंने व्यय लेखा 11 दिन बाद अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत की हूं. . . .” उक्त अभ्यावेदन अभिमत हेतु कलेक्टर, सीधी को भेजा गया। कलेक्टर, सीधी ने अपने पत्र दिनांक 7 मई 2010 में लेख किया कि “नगरपालिका परिषद्, सीधी के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी सुश्री माला सिंह चंदेल द्वारा आयोग को प्रेषित किये गये अभ्यावेदन के सत्यता के परीक्षण हेतु सुश्री चंदेल को कार्यालयीन पत्र दिनांक 21 अगस्त 2009 द्वारा सुसंगत अभिलेखों के सहित कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र उनके घर पर भेजा गया उनके घर पर अभ्यर्थी के पति मौजूद मिले, जो सूचना-पत्र को पढ़ने के पश्चात् लेने से इंकार कर दिये। उक्त संबंध में आज दिनांक तक न तो अभ्यर्थी स्वतः उपस्थित हुई एवं न ही अभ्यावेदन में बताये गये कारणों से संबंधित कोई अभिलेख/जानकारी ही प्रस्तुत की गई। कलेक्टर, सीधी से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का एक मौका देते हुए दिनांक 7 जुलाई 2010 को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर आयोग कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र लेने से अभ्यर्थी के पति द्वारा इंकार कर दिया गया। सूचना-पत्र पर तामीली करवाने हेतु गए भृत्य द्वारा अपनी टीप में दिनांक 5 जुलाई 2010 अंकित की गई थी, किन्तु सुश्री माला सिंह चंदेल उपस्थित नहीं हुई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री माला सिंह चंदेल द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। अतः

आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः; मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री माला सिंह चंदेल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, सीधी, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता।/-

(रजनी उड़के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 67-4-09-तीन-2826.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2008 (उत्तरार्द्ध) में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, सीधी, जिला सीधी के आम निर्वाचन में सुश्री रामकली साकेत, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगरपालिका परिषद्, सीधी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के

अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी 2009 तक, इहें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी के पत्र क्र. 72/स्था.निर्वा./2009, दिनांक 5 मार्च 2009 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री रामकली साकेत द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री रामकली साकेत को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2009 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी के माध्यम से दिनांक 4 जुलाई 2009 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

सुश्री रामकली साकेत को नोटिस दिनांक 4 जुलाई 2009 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 19 जुलाई 2009 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर सीधी ने अपने पत्र दिनांक 7 मई 2010 में लेख किया कि “नगरपालिका परिषद् सीधी के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी सुश्री रामकली साकेत द्वारा आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं प्रस्तुत किया गया है।” कलेक्टर, सीधी से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का एक मौका देते हुए, दिनांक 7 जुलाई 2010 को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर आयोग कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली दिनांक 5 जुलाई 2010 को हो गई थी, किन्तु सुश्री रामकली साकेत उपस्थित नहीं हुई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री रामकली साकेत द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः; मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री रामकली साकेत को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, सीधी, जिला सीधी का

पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उड़के)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 67-4-09-तीन-2827.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2008 (उत्तरार्द्ध) में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, सीधी, जिला सीधी के आम निर्वाचन में सुश्री प्रमिला तिवारी, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगरपालिका परिषद्, सीधी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी 2009 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी के पत्र क्र. 72/स्था.निर्वा./2009, दिनांक 5 मार्च 2009 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री प्रमिला तिवारी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री प्रमिला तिवारी को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2009 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी के माध्यम से दिनांक 14 जून 2009 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थित बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

सुश्री प्रमिला तिवारी को नोटिस दिनांक 14 जून 2009 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 29 जून 2009 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर सीधी ने अपने पत्र दिनांक 7 मई 2010 में लेख किया कि “नगरपालिका परिषद् सीधी के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी सुश्री प्रमिला तिवारी द्वारा आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं प्रस्तुत किया गया है।” कलेक्टर, सीधी से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का एक मौका देते हुए दिनांक 12 अगस्त 2010 को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर आयोग कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली दिनांक 28 जुलाई 2010 को हो गई थी, किन्तु सुश्री प्रमिला तिवारी उपस्थित नहीं हुई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री प्रमिला तिवारी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री प्रमिला तिवारी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, सीधी, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उड़के)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 9 जुलाई 2010

प्र. क्र. 2-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) में उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	रकबा अर्जित किया जाने वाला रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन	गौहरगंज	अम्बाई	368/2	4.00	0.31	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन अम्बाई तालाब की दाई नहर विभाग रायसेन। एवं मुख्य नहर एस्केप चेनल गुटवारा माइनर।	
			370/1	2.37	0.28		
			370/2	0.17	0.17		
			371	7.44	0.24		
			378	6.96	0.49		
			377	6.17	0.05		
			380/2	4.48	0.32		
			179	8.33	0.55		
			180	2.45	0.06		
			147/1/2	2.63	0.13		
			147/3	4.27	0.12		
			148/2	5.54	0.45		
			141/3/1	1.74	0.31		
			151/1	2.56	0.22		
			151/2	1.56	0.06		
			170/1	5.00	0.43		
			170/2	4.19	0.73		
			100/1	4.23	0.55		
			131/1	2.00	0.13		
			131/2/1	1.00	0.22		
			125	2.57	0.24		
			129	0.70	0.03		
			126	0.17	0.04		
			128	0.56	0.03		
			127	0.23	0.11		
			200	0.54	0.14		
			199	0.44	0.72		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			261	0.19	0.03		
			262	0.29	0.10		
			255	0.05	0.05		
			266/1	0.43	0.10		
			266/2	0.43	0.10		
			275	0.54	0.08		
			362	1.13	0.27		
			361	0.71	0.14		
			352	0.33	0.09		
			348	0.28	0.09		
			344	0.21	0.02		
			346	0.26	0.13		
			343	0.37	0.09		
			316	0.36	0.14		
			314	0.21	0.10		
			312	0.31	0.11		
			286	0.17	0.11		
			285	0.11	0.11		
			371	7.44	0.21		
			371	7.44	0.38		
			370/2	1.85	0.11		
रायसेन	गौहरगंज	गुटवारा	89	6.97	0.40	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन अभ्याई तालाब की दाई नहर विभाग रायसेन.	मुख्य नहर एवं एस्केप चेनल गुटवारा माइनर.
			70	0.90	0.34		
			67	0.29	0.29		
			66	0.30	0.30		
			65	0.20	0.20		
			74	0.64	0.29		
			76	0.13	0.13		
			77/1	0.40	0.40		
			77/2	0.30	0.30		
			78	0.10	0.10		
			105	3.35	0.50		
			106	0.22	0.22		
			110	0.50	0.08		
			107	0.80	0.26		
			129/1	1.39	0.42		
			129/2	1.38	0.28		
			130/2	1.15	0.24		
			130/1	1.16	0.30		
			131	1.77	1.00		
			68	0.02	0.02		
महायोग . .				122.06	15.76		

टीप:—भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल, क्लेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 11 अक्टूबर 2010**

प्र. क्र. 001-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) पन्ना	(2) शाहनगर	(3) टूड़ा	(4) निजी 142.92 है। शास. 14.46 है। <u>कुल 157.38</u>	(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना मध्यप्रदेश।	(6) लिपरी तालाब योजना के अंतर्गत, तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण वेस्ट वियर स्पिल चेनल एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य हेतु।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—टूड़ा तालाब योजना के अंतर्गत तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण वेस्ट वियर स्पिल चेनल एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम टूड़ा तहसील व अनुभाग शाहनगर हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 002-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) पन्ना	(2) शाहनगर	(3) जुगरवारा	(4) निजी 31.95 है। शास. 8.43 है। <u>कुल 40.38 है।</u>	(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना मध्यप्रदेश।	(6) जुगरवारा तालाब योजना के अंतर्गत, तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण वेस्ट वियर स्पिल चेनल एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य हेतु।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—जुगरवारा तालाब योजना के अंतर्गत, तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण वेस्ट वियर स्पिल चेनल एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम जुगरवारा तहसील व अनुभाग शाहनगर हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पन्ना, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 001-अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	गिरवारा	निजी 31.66 शासकीय 25.00 कुल . . <u>56.66</u>	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.	गिरवारा तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अधिग्रहण बावत्

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 001-अ-82 वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	नांदन	निजी 22.51 शासकीय 3.88 कुल . . <u>26.39</u>	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.	मंगला तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अधिग्रहण बावत्

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 003-अ-82 वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
पन्ना	पवर्ड	मध्यपुरा	निजी शासकीय	27.75 4.94	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.	भैंसाडेल तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अधिग्रहण बावत्,
			कुल	<u>32.69</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 004-अ-82 वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
पन्ना	पवर्ड	खजरूट	निजी शासकीय	19.00 23.00	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.	भैंसाडेल तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अधिग्रहण बावत्,
			कुल	<u>42.00</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 007-अ-82 वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन द्वारा का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
पन्ना	पन्ना	रमखिरिया	निजी शासकीय भूमि	21.98 एवं रकवा 13.59	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.	समखिरिया तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण.
			कुल रकवा	<u>35.57</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 008-अ-82 वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	नरदहा	निजी 38.15 एवं शासकीय भूमि रक्कवा 2.57	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.	नरदहा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण.
			<u>कुल रक्कवा 40.72</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्र.भूमि संपादन-2010-8151.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	बड़नगर	नरसिंगा पीरझलार	0.25	भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर	नरसिंगा पीरझलार, बड़नगर मार्ग पर चम्बल नदी पर निर्माणाधीन जलमग्नीय पुल के पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर में देखा जा सकता है।

क्र.भूमि संपादन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के

संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	गोयलाखुर्द मालनवासा	0.711 1.147 योग . . 1.858	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	प्राधिकरण की योजना पी-8/90 (त्रिवेणी विहार योजना) क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	गोयलाखुर्द मालनवासा	0.836 1.159 निर्मित 0.020	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	प्राधिकरण की योजना पी-23 क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.
		कुल . .	2.015		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	नागाञ्चिरी मालनवासा शकरवासा	0.928 6.820 1.408 निर्मित 0.020	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	प्राधिकरण की योजना पी-1/87 (क्षिप्रा विहार योजना) योजना क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.
		योग . .	9.226		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्र. 2348-भू-अ.अ.-2010-11. प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	भूमि का वर्णन (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पटेरा	कुसमी	कुल भूमि 6.49	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह	नईबंदी जलाशय योजना की नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

योग : 6.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह के कार्यलय में देखा जा सकता है।

दमोह, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्र. 2399-भू-अ.अ.-2010-11. प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	भूमि का वर्णन (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	रामनगर हरदुआजामधा	कुल निजी भूमि 62.73	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह	रामनगर जलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

योग : 62.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह के कार्यलय में देखा जा सकता है।

क्र. 2400-भू-अ.अ.-2010-11. प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	आलमपुर, खड़ेरी	कुल निजी भूमि 72.32	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह.	आलमपुरजलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

योग : 72.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह के कार्यलय में देखा जा सकता है।

क्र. 2401-भू-अ.अ.-2010-11. प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	कनौराकला	निजी भूमि 1.25	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह.	कनौराकला जलाशय योजना निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

योग : 1.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह के कार्यलय में देखा जा सकता है।

दमोह दिनांक 21 अक्टूबर 2010

क्र. 2406-भू-अ.अ.-2010-11. प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1) दमोह	(2) बटियागढ़	(3) जांगूपुरा, दलपतपुरा, खुटियानी रैयत	(4) कुल निजी भूमि 24.64	(5) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह.	(6) जांगूपुरा जलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
योग :				<u>24.64</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह के कार्यलय में देखा जा सकता है।

क्र. 2407-भू-आ.आ.-2010-11. प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1) दमोह	(2) बटियागढ़	(3) बरी मडियादो बरीकनोरा	(4) कुल भूमि 2.95	(5) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह.	(6) बरीकनोरा जलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
योग :				<u>2.95</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह के कार्यलय में देखा जा सकता है।

क्र. 2408-भू-आ.आ.-2010-11. प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1) दमोह	(2) बटियागढ़	(3) गूराकलां खडेरी योग :	(4) कुल निजी भूमि 3.88	(5) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	(6) गूराकलां जलाशय योजना की नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
योग :				<u>3.88</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यलय में देखा जा सकता है।

क्र. 2409-भू.अ.अ.-2010-11. प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	बेलखेड़ी, आंजनी घूघस	कुल निजी भूमि 4.06	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह.	बेलखेड़ी जलाशय योजना की नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

योग : 4.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

संशोधित अधिसूचना

राजगढ़, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

क्र. 11823-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	जेतपुरा	3.733	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़	बोरदाखुर्द तालाब के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन (बांध का डूब क्षेत्र)

योग : 3.733

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 11825-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	भोजपुर	12.686	परियोजना प्रबंधक, म. प्र. सङ्क विकास, निगम, उज्जैन	जयपुर-जबलपुर रोड पर बार्डर चैक पोस्ट निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का अर्जन.
			योग : <u>12.686</u>		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्र. 12306-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	बरगोलिया	0.208	कार्यपालन यंत्री,	बरगोलिया तालाब की नहर
राजगढ़	खिलचीपुर	भैरवाखेड़ी	2.220	जल संसाधन संभाग,	निर्माण हेतु शेष भूमि का
राजगढ़	खिलचीपुर	मल्हारपुरा	0.917	राजगढ़	अर्जन.
राजगढ़	खिलचीपुर	दूंदाहेड़ी	1.035		
राजगढ़	खिलचीपुर	कुलीखेड़ा	4.225		
राजगढ़	खिलचीपुर	लक्ष्मनपुरा	1.071		
		योग :	<u>9.676</u>		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

खिलचीपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्र. 12308-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची					
भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नहर में प्रभावित भूमि					
राजगढ़	खिलचीपुर	लसुड़ली	5.135	कार्यपालन यंत्री,	पाडल्याखेड़ी तालाब की नहर
राजगढ़	खिलचीपुर	चमारी	2.585	जल संसाधन संभाग,	निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
राजगढ़	खिलचीपुर	बीजपड़ी	1.210	राजगढ़	
राजगढ़	खिलचीपुर	हीरापुर	1.120		
योग :			<u>10.050</u>		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2010

क्र. 534-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची					
भूमि का वर्णन			धारा 4 की		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	रतहरा	0.599	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.रा.रा. मार्ग संभाग, रीवा	रीवा बायपास निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 528-प्र. क्र. 2-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबन्ध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हैक्टर में)	उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	मिठौरी	3.421	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल (म. प्र.)	मिठौरी जलाशय योजना के दूब क्षेत्र में छूटी भूमि.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

क्र. 3036-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. अ 82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हैक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	घुघरी	4.68	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद जिला झाबुआ.	माही परियोजना की घुघरी माईनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 2 अ-82 वर्ष 2010-11-8054.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उनके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैंसदेही	जामजिरी	19.728	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल	जामजिरी जलाशय के डूब क्षेत्र एवं नहर में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 3 अ-82 वर्ष 2010-11-8055.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उनके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैंसदेही	गदराजिरी	0.832	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल	गुनधाटी जलाशय नहर के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 4 अ-82 वर्ष 2010-11-8056.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उनके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैंसदेही	सीवनपाट	2.125	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल	सीवनपाट जलाशय नहर के ढूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

प्र. क्र. 5 अ-82 वर्ष 2010-11-8057.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उनके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैंसदेही	गदराझिरी	2.837	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल	गुनधारी जलाशय नहर के परिवर्तित मार्ग के ढूब क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

प्र. क्र. 6 अ-82 वर्ष 2010-11-8058.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उनके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैंसदेही	जामदियरी	2.677	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल	धनगांव जलाशय नहर के ढूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

प्र. क्र. 7 अ-82 वर्ष 2010-11-8059.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उनके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैंसदेही	धनगांव (वीरान)	1.758	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल	धनगांव जलाशय नहर के ढूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

प्र. क्र. 8 अ-82 वर्ष 2010-11-8060.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उनके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैंसदेही	सत्यगोहान	0.584	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल	सीवनपाट जलाशय नहर के ढूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय आनंद कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

क्र. 01-ए 82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	रुसल्ली	7.212	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर के निर्माण कार्य हेतु

योग . . 7.212

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 02-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँः—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	डफरयाई	5.007	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर के निर्माण कार्य हेतु
योग : <u>5.007</u>					

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 03-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँः—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	करैया	6.593	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर के निर्माण कार्य हेतु.
योग : <u>6.593</u>					

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्र. 1979-वाचक-प्र. क्र.-अ-82-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता

पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	कवठी पूरक प्रकरण प.ह.नं. 20	2.745	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास स. क्र. 30 मनावर	ऑंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 145000 से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 16 एवं उसकी सब माईनरों की आर.डी. 140150 मी. से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर क्र. 73 एवं उसकी सब माईनरों के निर्माण।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्र. 5-अ-82-09-10.—सात-1-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 क्र. एक सन् 1894 की धारा 4 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम नं.व.	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	माढोताल नं.बं. 660 प.ह.नं. 25/31	1.15	मुख्य कार्यपालिक अधिकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर	जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित बस टर्मिनल क्षेत्र के अंतर्गत निजी भूमि के अर्जन बावद,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

लखनादौन, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्र. 7005-कलेक्टर-भू-अ.-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 के उपधारा 2 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है। राज्य शासन का यह भी निर्देश है, कि उक्त धारा-5 “क” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/प.ह.नं./ रा.नि.मं.	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	लखनादौन	सालीवाड़ा/ 96	अशास. भूमि-4.06 शास. भूमि-3.50	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी	सालीवाड़ा जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु,
		लखनादौन	कुल- 7.56		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है।

क्र. 7005-कलेक्टर-भू-अ.-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 के उपधारा 2 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है। राज्य शासन का यह भी निर्देश है, कि उक्त धारा-5 “क” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/प.ह.नं./ रा.नि.मं.	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	लखनादौन	पायली/97 लखनादौन	अशास. भूमि-1.38 शास. भूमि-0.88	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी	सालीवाड़ा जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु,
			कुल- 2.26		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है।

क्र. 7005-कलेक्टर-भू-अ.-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 के उपधारा 2 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है। राज्य शासन का यह भी निर्देश है, कि उक्त धारा-5 “क” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन का	
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं./ रा.नि.मं.	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	लखनादौन	सिहोरा/51 लखनादौन	0.15	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी	पथरिया जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है।

क्र. 7005-कलेक्टर-भू-अ.-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 के उपधारा 2 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है। राज्य शासन का यह भी निर्देश है, कि उक्त धारा-5 “क” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन का	
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं./ रा.नि.मं.	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	लखनादौन	पथरिया/51 लखनादौन	3.63	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी	पथरिया जलाशय (झूब एवं स्पील) निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur the 30th September 2010

B-4203-II-15-50-87-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8-A of legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) read with Regulation 5 (f) of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority Regulations 1997 & in supersession of this Registry Notification No. C/3212 dated 27th September 2004, the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby nominates "Shri Ramesh Kumar, Advocate" as the Member of the Sub-committee of High Court Legal Services Committee at Jabalpur, in place of Shri P.R. Bhave, Senior Advocate, Jabalpur.

B-4205-II-15-50-87-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8-A of legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) read with Regulation 5 (f) of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority Regulations 1997 & in supersession of this Registry Notification No. C/3214 dated 27 September 2004, the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby nominates "Shri Z.A. Khan, Advocate" as the Member of the Sub-committee of High Court Legal Services Committee at Indore, in place of Shri Champalal Yadav, Advocate, Indore.

B-4207-II-15-50-87-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8-A of legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) read with Regulation 5 (f) of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority Regulations 1997 & in supersession of this Registry Notification No. C/3216 dated 27 September 2004, the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby nominates "Shri Shrikant Pandey, Retired Additional Secretary, State Legal Services Authority Jabalpur" as the Member of the Sub-committee of High Court Legal Services Committee at Gwalior, in place of Shri A.K. Ahirwar, Advocate, Gwalior.

जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर, 2010

क्र. 925-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-बी).—न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छ: दिवसीय "Refresher Course Training Programme" (First Batch), जो दिनांक 25-10-2010 से 30-10-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 25-10-2010 को

प्रातःकाल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा। समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें।
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 25-10-2010 को प्रातःकाल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होंवें।
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पैंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवें। महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होंवें।
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रशिक्षण में अपने साथ निम्न में से प्रत्येक की दो-दो प्रतियाँ अवश्य साथ लावें:—
 - (1) Judgment in Civil case (contested); and
 - (2) Judgment in Criminal case (contested).
5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषय पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें।
6. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं।
7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा।
8. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर ट्रैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध

- रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679, पर समयावधि रहते सूचित करें।
9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी। इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे।
10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा।

जबलपुर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010

क्र. 950-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-बी).—न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को कॉर्नेस हॉल पुलिस कन्ट्रोल रूम, इंदौर में दो दिवसीय कार्यशाला "Key issues and Challenges regarding offences of dishonour of cheque u/s 138 of Negotiable Instruments Act, 1881", जो दिनांक 23-10-2010 एवं 24-10-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु कॉर्नेस हॉल पुलिस कन्ट्रोल रूम, इंदौर में दिनांक 23-10-2010 को प्रातः काल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

- अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा। समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें।
- न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कॉर्नेस हॉल पुलिस कन्ट्रोल रूम, इंदौर में दिनांक 23-10-2010 को प्रातःकाल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होंगे।

- न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पैंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे। महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होंगे।
- न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यशाला में अपने साथ Bare Acts of Negotiable Instruments Act एवं Cr. P.C. की प्रति साथ लावें।
- प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा।
- न्यायिक अधिकारियों को कार्यशाला के दौरान चाय, बिस्कुट तथा दोपहर का भोजन प्रदान किया जावेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
टी.के कौशल, रजिस्ट्रार जनरल।

जबलपुर, दिनांक 21 सितम्बर, 2010

क्र. सी-5233-दो-3-99-2000.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 30 अगस्त से 1 सितम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेट अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेट अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. बी-4025-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 3 से 6 सितम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 सितम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए.एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार।

जबलपुर, दिनांक 1 अक्टूबर, 2010

क्र. ई-4106-दो-2-52-2010.—श्री जे.एस. क्षत्रिय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से दिनांक 9 सितम्बर 2010 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2010

क्र. सी-5755-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 से 17 अक्टूबर 2010 के एवं पश्चात में दिनांक 24 अक्टूबर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

जबलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010

क्र. सी-5853-दो-2-49-2007.—श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 30 अगस्त से 1 सितम्बर 2010 तक तीन दिन के पूर्व स्वीकृत कम्युटेड अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 2 से 3 सितम्बर 2010 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरीश कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. सी-5857-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र पी.एस. अरोड़ा, अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

- (1) दिनांक 6 सितम्बर 2010 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
- (2) दिनांक 6 से 7 सितम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी.एस. अरोड़ा, अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी.एस. अरोड़ा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए.एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार।

जबलपुर, दिनांक 1 अक्टूबर, 2010

क्र. 915-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में इट्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री रोहित सिंह,	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश,
	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश,	वर्ग-2, श्योपुर की हैसियत
	वर्ग-2 श्योपुर के न्यायालय	से स्थित न्यायालय में।
	के अतिरिक्त न्यायाधीश,	
	श्योपुर।	

जबलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर, 2010

क्र. 917-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री राजेश गुप्ता, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छतरपुर को उनके कार्य के अतिरिक्त छतरपुर जिले के जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री राजेश गुप्ता को छतरपुर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्री राजेश गुप्ता, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छतरपुर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
टी.के कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 1 अक्टूबर, 2010

क्र. ई-4108-दो-2-37-2005.—श्री आर.के.पाण्डे, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 8 से 14 अक्टूबर 2010 तक सात दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर, 2010

क्र. ई-4160-दो-3-97-2009.—श्री अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी.ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 से 29 सितम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी.ई.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभय कुमार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (डी.ई.) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 11 अक्टूबर, 2010

क्र. सी-5661-दो-2-37-2005.—श्री आर. के. पाण्डे, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 से 21 दिसम्बर 2010 तक दो दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2010 तक दस दिन का शीत कालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 19 दिसम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. पाण्डे, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित एवं शीत कालीन अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. पाण्डे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
ए.एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार।

Jabalpur the 2nd October, 2010

No. 2047-CJ-II-356.—WHEREAS, a departmental enquiry has been ordered to be initiated against shri K.C. Garg, the then District & Sessions Judge, Indore, presently posted at Chhattarpur for committing acts of grave misconduct as a Judicial Officer.

AND WHEREAS, serious nature of the allegations of misconduct warrants his suspension from service, pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of M.P. Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri K.C. Gage, the then District & Sessions Judge, Indore, (presently posted at Chhattarpur) under suspension with immediate effect with the headquarters at Gwalior. The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

By order of the High Court
K. D. KHAN, Principal Registrar, (Inspection &
Vigilance.)

Jabalpur
Dated 2nd October 2010.

जबलपुर, दिनांक 20 सितम्बर, 2010

क्र. 867-गोपनीय-2010-दो-2-33/57-(भाग-10).—रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. 643-गोपनीय-2010-दो-2-33/57 (भाग-10), दिनांक 22 जुलाई, 2010, जिसके तहत श्रीमती अंजुली पालो, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जबलपुर की पदस्थापना प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा के पद पर की गयी थी, आगामी आदेश तक स्थगित रखी जाती है। वे अपने वर्तमान पद पर कार्य करती रहेंगी।

टी.के कौशल, रजिस्ट्रार जनरल।

Jabalpur the 5th October 2010

No. B-4270-II-15-50-87-V (CORRIGENDUM).—In the sixth line of the High Court Notification No. B-4207 dated 30-09-2010, the word "Additional" after word Retired shall be substituted with word "Under".

ABHAI KUMAR, Registrar (DE)

जबलपुर, दिनांक 29 सितम्बर, 2010

क्र. 903-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी					
क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कुमारी प्रतिभा रत्नपारखी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल।	भोपाल	सागर	सागर	सिविल जिला, सागर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर की हैसियत से श्रीमती आराधना चौबे के दिनांक 30-9-2010 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद पर।
2	श्री ऋषभ कुमार जैन	अनूपपुर	राजगढ़	राजगढ़	सिविल जिला, राजगढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
3	श्री महेश प्रसाद अवस्थी, रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोषण आयोग, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर।	भोपाल	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	सिविल जिला, छिंदवाड़ा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा की हैसियत से श्री प्रवीण शाह के स्थान पर।
4	श्री योगेश कुमार सोनगरिया, अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन।	उज्जैन	अनूपपुर	अनूपपुर	सिविल जिला, अनूपपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर की हैसियत से श्री ऋषभ कुमार जैन के स्थान पर।

टिप्पणी.—1. ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर।
2. श्री योगेश कुमार सोनगरिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन, का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है।

जबलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर, 2010

क्र. 919-गोपनीय-2010-दो-2-88-2006.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय को निम्न सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तंभ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तंभ (6) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी					
क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती कल्पना गौड़, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, खण्डवा।	खण्डवा	उज्जैन	उज्जैन	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, उज्जैन की हैसियत से श्री सुबीर कुमार यादव के स्थान पर।
2	श्री सुबीर कुमार यादव, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, उज्जैन।	उज्जैन	खण्डवा	खण्डवा	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, खण्डवा की हैसियत से श्रीमती कल्पना गौड़ के स्थान पर।
3	श्रीमती सीमा श्रीवास्तव, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सागर।	सागर	होशंगाबाद	होशंगाबाद	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, होशंगाबाद की हैसियत से श्री संजय सूर्यवंशी के स्थान पर।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	श्री संजय सूर्यवंशी, पीठासीन अधिकारी, ग्रम न्यायालय, होशंगाबाद	होशंगाबाद	सागर	सागर	पीठासीन अधिकारी, ग्रम न्यायालय, सागर की हैसियत से श्रीमती सीमा श्रीवास्तव के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 11 अक्टूबर, 2010

क्र. 944-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों में प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1) 1	श्री मोहम्मद महमूद खान	राजनगर	दमोह	दमोह	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री महेश कुमार झा के स्थान पर.
2	श्री महेश कुमार झा	दमोह	राजनगर	छतरपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री मोहम्मद महमूद खान के स्थान पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
टी. के. कौशल, रजिस्ट्रर जनरल.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2010

क्र. 542-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—हुजूर
 (ग) नगर/ग्राम—देकहा 250
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.048 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
क्रमांक	(हेक्टर में)
(1)	(2)
163/2	0.048

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—वाराणसी-नागपुर मार्ग के कि. मी. 236/4 में बीहर पुल के रीवा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु।
 (3) भूमि का नवशा एवं प्लान कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—हुजूर
 (ग) नगर/ग्राम—रीवा 553
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.003 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
क्रमांक	(हेक्टर में)
(1)	(2)
92	0.002
96/26	0.001
	योग : <u>0.003</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—वाराणसी-नागपुर मार्ग के कि. मी. 236/4 में बीहर पुल के रीवा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु।
 (3) भूमि का नवशा एवं प्लान कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर 2010	(1)	(2)	(3)
	120/2	0.20	0.20
	122/3	0.32	0.16
	122/4	0.32	0.16
	121	0.55	0.55
	119/1	0.22	0.22
	119/2	0.20	0.20
	118	0.38	0.38
	116	0.05	0.05
	132	0.42	0.42
	134	0.46	0.46
	135	0.39	0.39
	136	0.12	0.12
योग . .	19.32	10.17	

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
- (ख) तहसील—गौहरगंज
- (ग) ग्राम—नयापुरा सोडरपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —10.17 एकड़.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—नयापुरा सोडरपुर तालाब की स्पल चेनल हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायसेन, दिनांक 18 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 10-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि नयापुरा आशापुरी सागर जलाशय की नहर एवं ड्रेनेज नाली निर्माण किये जाने हेतु जल संसाधन विभाग के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
- (ख) तहसील—गौहरगंज
- (ग) ग्राम—आशापुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —3.44 एकड़.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (एकड़ में)	अर्जित रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)
46/1	2.33	0.48
46/2	2.33	0.48
76	0.35	0.19
47	2.21	0.44
71	0.49	0.49
59	0.87	0.38
60	1.24	0.48
67	0.43	0.24
68	0.47	0.27
69	0.41	0.41
70	2.36	0.80
72	0.51	0.51
75	0.23	0.23
73	0.32	0.32
74	0.26	0.26
117	0.37	0.37
122/1	0.15	0.15
120/1	0.21	0.21
122/2	0.15	0.15

खसरा नम्बर	कुल रकबा (एकड़ में)	अर्जित रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)
142	0.28	0.28

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
143/2	0.54	0.02	163/1	0.24	0.07
191/3	0.12	0.04	168	0.57	0.03
182	0.55	0.10	166	0.23	0.02
183	0.33	0.10	169	0.37	0.05
185	0.36	0.06	170	0.21	0.03
192	0.20	0.10		योग . .	14.94
194	0.32	0.04			3.44
196/1	0.13	0.06	(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—आशापुरी सागर जलाशय की नहर एवं ड्रेनेज नाली निर्माण.		
196/2	0.12	0.06	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुबिभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.		
213/2	0.11	0.06	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल भीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		
184	0.30	0.12	कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		
191/1	0.13	0.03	भिण्ड, दिनांक 30 सितम्बर 2010		
213/1	0.12	0.05	क्र. क्यू-कोर्ट-कले.राजस्व-02-भू-अर्जन-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		
214	0.08	0.08	अनुसूची		
215	0.56	0.20	(1) भूमि का वर्णन—		
271	0.21	0.10	(क) जिला—भिण्ड		
226	0.11	0.02	(ख) तहसील—गोहद		
228	0.29	0.14	(ग) नगर/ग्राम—गोहद		
229	0.35	0.02	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.062 हेक्टर.		
234	0.09	0.09	सर्वे नम्बर		
236	0.18	0.02	रकबा		
237	0.23	0.12	(हेक्टेयर में)		
238	0.04	0.04	(1)		
251	0.23	0.12	(2)		
269	0.40	0.04	2647/1		
274	0.14	0.09	0.062		
282	0.31	0.07	योग . .		
275	0.14	0.06	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—शा.बा.उ.मा.वि., गोहद हेतु		
278	0.19	0.03			
277	0.26	0.06			
281	0.30	0.06			
280/1	0.36	0.07			
265/2/2	2.70	0.20			
143/2	0.54	0.06			
144	0.42	0.03			
145	0.40	0.03			
146	0.34	0.04			
152	0.43	0.04			
148	0.16	0.04			
149	0.25	0.25			

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भिण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है.	(1)	(2)	
	12	0.920	
	13/1	0.397	
	15	1.300	
(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.	19	0.050	
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	20/1	0.200	
	70/1	0.647	
	63	0.240	
	59	3.648	
	60/1	2.665	
	54/1/1ख	0.240	
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	13/2	0.230	
	49	1.296	
	52/2	1.740	
	68	1.035	
	69	0.063	
	71/1/1	1.193	
	71/1/3	2.000	
क्र.-1-भू.अ.वि.-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	29/1/1/1क	0.379	
		29/1/1/1ख	0.380
		29/1/1/1ग	0.380
		29/2/1	0.200
		29/1/1/2ग	0.400
		52/1	1.400
		57	0.272
		53/1	0.090
		55/1, 55/2	0.700
		62/1	0.366
		65/2	0.867
		66	1.881
		76	0.219
		77	0.030
		78	0.250
		71/1/2	0.325
		79	0.031
		82	0.146
		84	0.251
		81	0.230
		योग . .	36.747

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—विदिशा
- (ग) ग्राम—शिलपरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—42.126 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		शासकीय भूमि
(1)	(2)		
16	0.230	82	0.146
2	3.659	84	0.251
8	1.233	81	0.230
3	2.059		
14	0.052		
4	0.073		
18	0.773		
5	0.199	1/1	0.878
6	0.460	9	0.219
7	0.606	17	0.272
10	0.345	50	0.105
11	0.397	51	0.073

(1)	(2)
56	0.125
58	0.293
64/1	0.073
67	0.094
107	1.993
108	0.481
75	0.261
80	0.293
83	0.052
85	0.042
86	0.125
योग—शासकीय भूमि . .	<u>5.379</u>
महायोग . .	<u>42.126</u>

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-3-भू.अ.वि.-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—विदिशा
- (ग) ग्राम—कबूला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—52.646 हेक्टर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्प्राट अशोक सागर परियोजना के जल स्तर 1504 से 1508 फिट के मध्य डूब में आने वाली भूमि हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-2-भू.अ.वि.-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—विदिशा
- (ग) ग्राम—भूत परासी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.366 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (2)	रकबा (हेक्टर में)
90/1	0.500	68/1/2
91	0.600	62/1
92	0.166	164/1
88/3	0.100	115
योग . .	<u>1.366</u>	116/3
		153/1
		162

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्प्राट अशोक सागर परियोजना के जल स्तर 1504 से 1508 फिट के मध्य डूब में आने वाली भूमि हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-3-भू.अ.वि.-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—विदिशा
- (ग) ग्राम—कबूला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—52.646 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (2)	(हेक्टर में)
-------------------	-------------	--------------

109/1	1.000	
109/2	0.355	
159/1	0.073	
159/2	0.073	
175	0.167	
62/1 min	1.463	
62/1 min	0.209	
62/2	1.934	
64	1.400	
65/1	0.795	
65/2	1.045	
65/3	0.721	
65/4	0.795	
65/5	0.795	
65/6	0.376	
65/7	0.376	
220	0.512	
68/1/2	0.030	
62/1	0.262	
164/1	0.052	
115	1.515	
116/3	1.202	
153/1	0.028	
162	0.105	
116/1	1.042	
164/2	0.063	
166	0.115	

(1)	(2)	(1)	(2)
116/2	1.278	178	1.745
153/3	0.028	189	0.293
167	0.366	117/3/1	0.194
182	0.941	185	0.543
118	0.826	179	0.555
117/2	0.425	181/2	0.400
181/1	0.541	186	0.679
145	0.115	184/2	0.161
146	4.181	183	1.369
176	0.094	184/1	0.320
153/2	0.028	187/1	0.035
154/1	0.070	190	0.836
188/1	0.094	191/1	0.056
195	0.063	117/1	0.425
197	0.031	204/2	0.324
154/2	0.070	206/1	0.083
154/3	0.069	174	0.073
155	0.219	219/2	0.868
160	0.240	61	2.000
161	0.199	222/1	2.739
188/2	0.094	222/2	1.254
188/3	0.094	214/2	1.150
193/1	0.021	177	0.094
193/2	0.021	योग . .	48.816
195/3	0.062		
201	1.036		
104/2/1	0.611		
191/2	0.056	108	0.188
191/3	0.055	107	0.136
195/2	0.063	119	0.314
187/2	0.035	147	0.063
187/3	0.035	148	0.523
117/3/2	0.231	149	0.021
158	0.031	150	0.021
163	0.021	156	0.042
165	0.021	157	0.219
168	0.010	180	0.157
169	0.032	192	0.366
170	0.700	194	0.889
171	0.146	196	0.125
205/1	0.492	198	0.021
172/1	0.120	199	0.209
172/2	0.120	221	0.381
202	0.857	66	0.010
216/1	0.972	67	0.146
200	0.303	योग . .	3.831
		महायोग . .	52.646

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सप्ताह अशोक सागर परियोजना के जल स्तर 1504 से 1508 फीट के मध्य डूब में आने वाली भूमि हेतु.	(1)	(2)
	126/2/2	0.256
	116	1.000

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.	(1)	(2)
	113	1.223
	114/1	0.150

विदिशा, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 20-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	(1)	(2)
	112	0.110
	111	0.100
	110	0.600
	106/1/2	0.750
	94/1	0.800
	94/2	0.800
	96/1	0.482
	96/2/1	0.018
	96/2/2	0.400
	97	0.900
	99	0.550
	545/1	0.500
	545/2	0.500
	546	0.090
	547	0.050
	549	1.400
	550	0.200
	59/1	0.397
	59/2	0.126
	योग . .	18.005

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	(1)	(2)
129/1/1	0.250		
129/1/2	0.250		
129/2	0.500		
126/1/1	0.256		
126/1/2	0.256		
126/2/1	0.256		
126/3	0.020		
126/4	0.256		
121	0.324		
26	0.500		
120	0.130		
118/1	0.250		
118/2	0.250		
118/3	0.105		
118/4	0.250		
118/5	0.250		
27	0.100		
117	1.800		
115/1	0.150		
115/2	0.150		
115/3/1	0.150		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 21-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

- अनुसूची
- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—शामशाबाद

(ग) ग्राम—जीरापुर		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.812 हेक्टर.		48/1	0.428
सर्वे क्रमांक	रकबा	49	0.150
	(हेक्टर में)	50/1	0.100
(1)	(2)	50/2	0.100
12/1/1	0.097	50/3	0.100
12/1/2	0.356	35	0.129
12/1/3	0.356	36	0.162
12/1/4	0.654	40/2	0.648
12/3	0.259	42	0.314
13/1	0.129	43	0.129
13/2	0.129	41	0.129
13/3	0.229	4/1	0.450
13/4	0.307	4/2	0.450
15/1/1	0.259	3/1	0.200
15/1/2	0.259	3/2	0.200
15/2/1	0.259	3/3	0.200
15/2/2	0.259	76	0.210
15/2/3	0.260	75	0.650
योग . .	<u>3.812</u>	73	0.900
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.		78	0.350
		79	0.773
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, नटरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.		81/1	
		92/1	0.700
		92/2	0.700
		93	1.150
		97	1.400
प्र. क्र. 24-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		98	0.808
		168	0.105
		165	0.630
		169/1	1.500
		169/2/1	1.600
		169/2/2	0.200
		172/1/2	1.782
		171	0.100
		173	0.770
		175/2	0.200
(क) जिला—विदिशा		178/1	0.170
(ख) तहसील—शमशाबाद		178/2	0.170
(ग) ग्राम—सतपाड़हाट		178/3	0.170
(घ) लगभग क्षेत्रफल—26.279 हेक्टर.		178/1/1	0.220
सर्वे क्रमांक	रकबा	179/1/2	0.220
	(हेक्टर में)	179/2	0.220
(1)	(2)	181	0.450
47	0.405	188	0.105

(1)	(2)	(1)	(2)
189	0.408	292/1	0.260
183/1	0.020	292/2	0.260
183/2	0.074	292/3	0.260
182/1	0.100	292/4	0.270
182/2	0.100	290/1	0.160
186/1	0.430	290/2	0.360
186/2	0.100	290/3	0.360
211/1	0.500	289	0.750
211/2	1.500	286	0.377
209	0.65	285	0.200
207	1.00	282	0.200
206/1	0.15	284	1.600
206/2	0.15	330/1	0.170
203/1	0.15	330/2	0.180
203/2	0.20	329	0.150
योग . .	<u>26.279</u>	327	0.050
		326	0.100
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.		325	0.100
		224	0.050
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है।		231	0.100
		339	0.100
		333	0.052
		334	0.052
		335	0.052
		336	0.125
		487	0.073
		485/21	0.220
		485/2	0.440
		520	0.300
		574/1	0.078
		573/1	0.900
		573/2	0.900
		572	0.600
		571	0.920
(1) भूमि का वर्णन—		619	0.130
(क) जिला—विदिशा		620/1	0.150
(ख) तहसील—शमशाबाद		562/1	0.050
(ग) ग्राम—रजौदा		562/	0.050
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.899 हेक्टर।		562/3	0.050
सर्वे क्रमांक	रकबा	566	0.600
	(हेक्टर में)	563	0.920
(1)	(2)	559	0.050
291/1	0.060	योग . .	<u>12.899</u>
291/2	0.070		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.	(1)	(2)
	72	0.23
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.	73 74 75 77 79 84	0.05 0.28 1.78 2.40 0.10 0.27
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	योग . .	11.77

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

रा.प्र.क्र. 02-अ 82-2009-10-भू.अ.अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी
- (ख) तहसील—रीठी
- (ग) ग्राम—मढिया, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—12.36 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(1)	(2)
56	0.27
57	0.10
58	0.40
59	0.17
60	0.97
61	0.62
63	1.88
65	0.17
67	1.10
69	0.17
71	0.71

शासकीय भूमि

62	0.04
66	0.09
68	0.13
70	0.09
76	0.08
योग . .	0.69
महायोग . .	12.36

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—(लीपरी जलाशय योजना).
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रा.प्र.क्र. 03-अ 82-2009-10-भू.अ.अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी
- (ख) तहसील—रीठी
- (ग) ग्राम—मढा देवरी, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—59.97 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा
(1)	(2)
3	0.77
7/1	1.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—(लीपरी जलाशय योजना).	(1)	(2)
	86/1	0.49
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.	86/2	0.16
	86/3	0.16
	86/4	0.17
रा. प्र. क्र. 05-अ 82-2009-10-भू.अ.अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	87	1.530
	88	75
	89	0.69
	90/1	0.13
	90/2	0.13
	91	0.88
	92	0.42
	174	0.12
	175	0.38
	176	0.30
	177	0.35
(क) जिला—कटनी	178	0.40
(ख) तहसील—रीठी	179	0.75
(ग) ग्राम—सैदा, प.ह.नं. 15	180	0.08
(घ) लगभग क्षेत्रफल—170.71 हेक्टर.	206	1.65
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	207/2
	(हेक्टर में)	207/3
(1)	(2)	2074
1	0.35	207/5
2	0.25	207/6
3	1.78	207/7
4	0.55	207/8
5	0.66	207/9
6	1.80	208
7	0.32	209
8	0.39	210/1
65	0.34	210/2
71	0.06	211
72	0.73	212
73	0.26	213
74	3.06	214
76	0.15	215
77/1	0.26	216
77/2	0.26	219/1
77/3	0.270	219/2
79	25	220
81	1.60	221
82	1.23	222/1
83	0.96	222/2
84	0.46	223
85	0.43	224
		225
		226

(1)	(2)	(1)	(2)
227	0.09	273	0.61
228	0.65	274	0.21
229	0.35	275	0.47
230	0.28	276	0.42
231	0.25	277	0.31
232	0.16	278	0.21
233	1.57	279	0.35
234	0.73	280	0.22
235	0.43	281	0.42
236	0.11	282	0.660
237	0.93	283	05
238	0.20	284	0.04
239	0.26	286	0.06
240	0.53	287	0.85
241	1.08	288	0.02
242	0.50	289	0.40
243	1.71	290	0.10
244	1.75	291	0.65
245	0.24	292	0.67
246	0.11	293	0.35
247	0.13	294	0.36
248	0.59	295	0.41
249	0.13	296	0.17
250	0.24	297	0.61
251	1.86	298/1	0.27
252	0.32	298/2	0.26
253	0.31	299	0.36
254	0.66	300	0.39
256	2.16	301	1.00
257/1	0.40	302	0.10
257/2	0.41	303	0.25
258/1	0.27	304	0.37
258/2	0.27	305	0.34
258/3	0.27	306	0.44
260	4.26	307	0.31
262	1.18	308	0.50
263	0.83	309	0.12
265	0.47	310/1	0.11
266	0.35	310/2	0.21
267	2.15	311	0.15
268	1.29	312	0.19
269/1	1.23	313	0.32
269/2	0.17	314	0.05
270	0.20	315	0.04
272	0.70		

(1)	(2)	(1)	(2)
316	0.04	363	0.71
317	0.04	364	0.59
318	0.04	365	0.654
319	0.04	366	0.59
320	0.05	367	0.30
321	1.90	368	0.76
323	0.52	369	0.42
324	0.69	370	2.06
326/1	0.79	371	1.26
326/2	0.39	372	2.14
327	0.08	373	0.08
328	2.00	374	2.71
329	0.05	375	0.57
330	0.05	373	0.29
331	0.05	1162/1	0.21
332	0.22	1162/2	0.14
333	0.29	1163	0.17
334	0.19	1164	0.04
335	0.43	1165	0.03
336	0.32	1166	0.06
337	0.27	1167	0.04
338	0.24	1175	1.78
339	0.52	1176	1.35
340	0.57	1177	0.56
341	0.17	1178	0.39
342	0.16	1214	0.20
343	0.07	1215	0.10
344	0.07	1216	0.06
345	0.07	1217	0.08
346	0.53	1218	0.32
347	0.40	1222	0.27
348	0.21	1223/1	0.12
349	0.81	1223/2	0.11
350	0.26	1224	0.41
351	0.25	1225	0.06
352	0.26	1226	0.27
353	0.50	1227	0.10
354	0.05	1228	0.22
355	0.10	1229	0.48
356	0.59	1230	0.43
358	1.10	1231	0.50
359	1.43	1232	0.47
360	0.50	1233	0.31
361	0.21	1234	0.43
362	0.23	1235	0.89

(1)	(2)	(1)	(2)
1236	0.38	1285	0.54
1237	0.38	1286	0.10
1238	0.08	1287	0.09
1239	0.11	1288	0.07
1240	0.37	1289	0.07
1241	0.24	1290/1	0.36
1242	0.16	1290/2	0.36
1243	0.21	1291	0.32
1244	0.09	1292	0.26
1245	0.09	1293	0.35
1246	0.08	1294	0.05
1247	0.08	1295/1	0.24
1248	0.09	1295/2	0.03
1249	0.09	1296	0.71
1250	0.05	1297	0.43
1251	0.05	1298	0.30
1252	0.10	1299	2.06
1253	0.09	1300	1.81
1254	0.46	योग . .	<u>163.37</u>
1255	0.09		
1256	0.06		
1257	0.08		
1258	0.42		
1259	0.15	75	0.03
1260	0.10	78	1.06
1261	0.10	80	0.11
1262	0.52	217	0.21
1263	0.67	218	3.33
1264	0.08	255	0.32
1265	0.64	259	0.50
1266	0.31	261	0.42
1267	0.22	264	0.39
1268	0.21	271	0.18
1268	0.36	285	0.21
1270	0.25	322	0.41
1271	0.09	325	0.12
1272	0.45	357	0.11
1273	5.75	1278	0.04
1274/1	0.71	योग—शासकीय भूमि . .	<u>7.44</u>
1274/2	0.05	कुल रकमा . .	<u>170.71</u>
1275	0.18		
1276	1.01		
1269/		(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—(लीपरी जलाशय योजना).	
1425	1.45		
1277	0.34		
1280	0.32	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
1281	0.28		
1282	0.88		
1283	1.48	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
1284	0.68	एम. सेलवेन्ड्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
 उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
 पन्ना, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

प्र.क्र. 001-अ 82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को
 यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित
 भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन
 के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894
 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह
 घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये
 आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—शाहनगर
- (ग) ग्राम—टूडा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—142.92 हेक्टर।

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकमा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
211	0.10	निजी भूमि	924	2.96	निजी भूमि	291	0.06	निजी भूमि
291	0.06	निजी भूमि	290	0.18	निजी भूमि	293	0.06	निजी भूमि
293	0.06	निजी भूमि	299	0.27	निजी भूमि	296	0.23	निजी भूमि
296	0.23	निजी भूमि	300	0.02	निजी भूमि	412	0.54	निजी भूमि
412	0.54	निजी भूमि	301	0.12	निजी भूमि	413	0.31	निजी भूमि
413	0.31	निजी भूमि	302	0.78	निजी भूमि	821	0.52	निजी भूमि
821	0.52	निजी भूमि	306	0.76	निजी भूमि	212	0.15	निजी भूमि
212	0.15	निजी भूमि	313	0.15	निजी भूमि	214	0.16	निजी भूमि
214	0.16	निजी भूमि	307	0.08	निजी भूमि	292	0.28	निजी भूमि
292	0.28	निजी भूमि	351	0.13	निजी भूमि	294	0.05	निजी भूमि
294	0.05	निजी भूमि	353	0.09	निजी भूमि	304	0.26	निजी भूमि
304	0.26	निजी भूमि	356	0.08	निजी भूमि	401	0.58	निजी भूमि
401	0.58	निजी भूमि	367	0.12	निजी भूमि	822	0.63	निजी भूमि
822	0.63	निजी भूमि	308	0.05	निजी भूमि	250	1.31	निजी भूमि
250	1.31	निजी भूमि	311	0.14	निजी भूमि	261	1.66	निजी भूमि
261	1.66	निजी भूमि	309	0.06	निजी भूमि	275	0.73	निजी भूमि
275	0.73	निजी भूमि	310	0.24	निजी भूमि	305 जुज	1.96	निजी भूमि
305 जुज	1.96	निजी भूमि	941	0.23	निजी भूमि	362	0.86	निजी भूमि
362	0.86	निजी भूमि	312	0.88	निजी भूमि	902	0.55	निजी भूमि
902	0.55	निजी भूमि	1015	0.19	निजी भूमि	942	0.16	निजी भूमि
942	0.16	निजी भूमि	1026	0.26	निजी भूमि	944	0.07	निजी भूमि
944	0.07	निजी भूमि	314	0.22	निजी भूमि	305 जुज	0.30	निजी भूमि
305 जुज	0.30	निजी भूमि	315	1.18	निजी भूमि	278	0.02	निजी भूमि
278	0.02	निजी भूमि	328	0.06	निजी भूमि			
			389	0.08	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
408	0.51	निजी भूमि	903	0.29	निजी भूमि
316	0.36	निजी भूमि	1007/2	0.07	निजी भूमि
317	0.31	निजी भूमि	352	0.09	निजी भूमि
326	0.24	निजी भूमि	366	0.95	निजी भूमि
327	0.59	निजी भूमि	358	0.93	निजी भूमि
318	1.90	निजी भूमि	359	3.62	निजी भूमि
319	1.06	निजी भूमि	360/1	0.29	निजी भूमि
385	0.37	निजी भूमि	365	0.36	निजी भूमि
321	1.31	निजी भूमि	370	0.57	निजी भूमि
1000	0.38	निजी भूमि	371	0.54	निजी भूमि
323	0.75	निजी भूमि	372	0.06	निजी भूमि
324	0.70	निजी भूमि	373	0.54	निजी भूमि
325	0.23	निजी भूमि	374	0.14	निजी भूमि
396	0.11	निजी भूमि	376	0.10	निजी भूमि
330	0.45	निजी भूमि	386	0.39	निजी भूमि
335	0.08	निजी भूमि	423/1057	0.26	निजी भूमि
345	1.50	निजी भूमि	917	0.09	निजी भूमि
331	0.09	निजी भूमि	918	0.67	निजी भूमि
332	0.09	निजी भूमि	923	0.06	निजी भूमि
334	0.49	निजी भूमि	377	0.06	निजी भूमि
335	0.50	निजी भूमि	387	0.27	निजी भूमि
820	0.29	निजी भूमि	420/1058	0.21	निजी भूमि
336	0.58	निजी भूमि	422	0.06	निजी भूमि
337	0.49	निजी भूमि	379	0.55	निजी भूमि
339	0.22	निजी भूमि	405	1.17	निजी भूमि
342	0.41	निजी भूमि	381	0.47	निजी भूमि
966	0.41	निजी भूमि	383	0.28	निजी भूमि
341	0.50	निजी भूमि	418	0.93	निजी भूमि
819	0.30	निजी भूमि	863	0.16	निजी भूमि
343	0.36	निजी भूमि	985	0.55	निजी भूमि
344	0.78	निजी भूमि	989	0.30	निजी भूमि
346	0.53	निजी भूमि	382	0.40	निजी भूमि
347	0.26	निजी भूमि	384	0.66	निजी भूमि
914	0.32	निजी भूमि	388	0.30	निजी भूमि
957	0.17	निजी भूमि	390	1.31	निजी भूमि
347	1.00	निजी भूमि	866/1065	0.01	निजी भूमि
357	0.24	निजी भूमि	868	0.02	निजी भूमि
348	0.13	निजी भूमि	904	0.14	निजी भूमि
350	0.25	निजी भूमि	391	0.11	निजी भूमि
368	0.77	निजी भूमि	392	0.58	निजी भूमि
369	0.13	निजी भूमि	416	0.21	निजी भूमि
888	0.16	निजी भूमि	916	0.15	निजी भूमि
899	0.23	निजी भूमि	393	0.21	निजी भूमि
900	0.25	निजी भूमि	394	0.74	निजी भूमि
			395	0.79	निजी भूमि
			398	0.65	निजी भूमि
			862	0.31	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
399/1	0.82	निजी भूमि	990	0.21	निजी भूमि
399/2	0.63	निजी भूमि	1022	0.79	निजी भूमि
400	0.57	निजी भूमि	807	0.06	निजी भूमि
915/1	0.38	निजी भूमि	807/1061	0.03	निजी भूमि
920	0.12	निजी भूमि	810/1	0.20	निजी भूमि
403/1	0.55	निजी भूमि	811	0.16	निजी भूमि
403/3	0.15	निजी भूमि	812	0.02	निजी भूमि
810/2	0.07	निजी भूमि	947	0.06	निजी भूमि
816	0.33	निजी भूमि	978	0.79	निजी भूमि
1049/1	0.21	निजी भूमि	952	0.14	निजी भूमि
1053/2	0.14	निजी भूमि	864	0.45	निजी भूमि
815	0.33	निजी भूमि	865/1	0.37	निजी भूमि
817	0.34	निजी भूमि	869	0.04	निजी भूमि
927	1.33	निजी भूमि	870	0.07	निजी भूमि
967	0.40	निजी भूमि	872	0.41	निजी भूमि
968	0.28	निजी भूमि	1005	0.43	निजी भूमि
984	0.79	निजी भूमि	887	0.01	निजी भूमि
403/2	0.33	निजी भूमि	972	0.85	निजी भूमि
1049/2	0.26	निजी भूमि	897	0.07	निजी भूमि
1050	0.02	निजी भूमि	940 पार्ट	0.06	निजी भूमि
1053/1	0.14	निजी भूमि	940 पार्ट	0.20	निजी भूमि
404	0.74	निजी भूमि	795	1.00	निजी भूमि
1014	0.58	निजी भूमि	958	0.38	निजी भूमि
406	0.59	निजी भूमि	901	0.18	निजी भूमि
908	0.39	निजी भूमि	905	0.16	निजी भूमि
407	0.55	निजी भूमि	922	0.22	निजी भूमि
763	0.49	निजी भूमि	936	0.20	निजी भूमि
409	1.63	निजी भूमि	906	0.34	निजी भूमि
871	0.47	निजी भूमि	907	0.60	निजी भूमि
410	0.73	निजी भूमि	1030	2.98	निजी भूमि
814	0.27	निजी भूमि	1020/2	0.12	निजी भूमि
1023	0.15	निजी भूमि	909	0.15	निजी भूमि
1029	0.49	निजी भूमि	910	0.29	निजी भूमि
415	1.21	निजी भूमि	921	0.21	निजी भूमि
419	0.20	निजी भूमि	932	0.22	निजी भूमि
420	0.23	निजी भूमि	911	0.16	निजी भूमि
423	1.19	निजी भूमि	959	0.09	निजी भूमि
873	0.02	निजी भूमि	960	0.08	निजी भूमि
424	0.39	निजी भूमि	983	0.55	निजी भूमि
913	0.48	निजी भूमि	1009	0.38	निजी भूमि
425	0.29	निजी भूमि	1011	0.32	निजी भूमि
805	0.06	निजी भूमि	912	0.19	निजी भूमि
987	0.12	निजी भूमि	951	0.20	निजी भूमि
			915/2	0.82	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
919	0.11	निजी भूमि	986/1	1.15	निजी भूमि
924	0.42	निजी भूमि	992	0.29	निजी भूमि
925	0.79	निजी भूमि	986/2	0.21	निजी भूमि
926	2.08	निजी भूमि	991	0.20	निजी भूमि
928	0.73	निजी भूमि	993	0.15	निजी भूमि
929	0.25	निजी भूमि	994	2.14	निजी भूमि
953	0.33	निजी भूमि	1002	1.08	निजी भूमि
930	0.15	निजी भूमि	1003	0.27	निजी भूमि
950	0.15	निजी भूमि	1004	0.34	निजी भूमि
931	0.12	निजी भूमि	1010	0.80	निजी भूमि
933	0.36	निजी भूमि	1012	0.16	निजी भूमि
934	0.21	निजी भूमि	1013	0.52	निजी भूमि
975	0.17	निजी भूमि	1027	0.56	निजी भूमि
1001	0.32	निजी भूमि	1016	0.48	निजी भूमि
1025	0.39	निजी भूमि	1017	0.27	निजी भूमि
1032	0.09	निजी भूमि	1018	0.30	निजी भूमि
935	0.78	निजी भूमि	1020/1	0.79	निजी भूमि
964	0.04	निजी भूमि	1021	0.43	निजी भूमि
988	0.46	निजी भूमि	1031	0.65	निजी भूमि
937	0.09	निजी भूमि	1034	0.65	निजी भूमि
955	0.11	निजी भूमि	1035	0.33	निजी भूमि
1040/2	0.36	निजी भूमि	1036	0.45	निजी भूमि
938	0.12	निजी भूमि	1040/1	0.96	निजी भूमि
948	0.16	निजी भूमि	1037	0.96	निजी भूमि
945	0.45	निजी भूमि	1038	0.32	निजी भूमि
946	0.75	निजी भूमि	1039	0.40	निजी भूमि
949	0.38	निजी भूमि	1041/1	0.11	निजी भूमि
963	0.25	निजी भूमि	1041/2	0.08	निजी भूमि
961	0.50	निजी भूमि	1042	1.22	निजी भूमि
962	0.02	निजी भूमि	1043	0.83	निजी भूमि
965	0.50	निजी भूमि	397	0.54	निजी भूमि
971	1.58	निजी भूमि	1044	0.08	निजी भूमि
972	0.60	निजी भूमि	1046	0.48	निजी भूमि
976	0.08	निजी भूमि	1045	0.55	निजी भूमि
999	0.86	निजी भूमि	1051	0.06	निजी भूमि
1019	0.23	निजी भूमि	1052	0.11	निजी भूमि
1024	0.19	निजी भूमि	कुर रकबा निजी भूमि . . 142.92		
1028	0.31	निजी भूमि	<hr/>		
1033	0.26	निजी भूमि	<hr/>		
977	0.02	निजी भूमि	<hr/>		
1007/1	0.40	निजी भूमि	<hr/>		
980	0.53	निजी भूमि	<hr/>		
981	0.50	निजी भूमि	<hr/>		
982	0.32	निजी भूमि	<hr/>		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत ग्राम टूँडा में तालाब निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 002-अ 82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—शाहनगर
- (ग) ग्राम—जुगरवारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—31.95 हेक्टर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

भूमि का
प्रकार

(1)

(2)

(3)

172

0.25

निजी भूमि

173

0.23

निजी भूमि

138

0.95

निजी भूमि

161

0.55

निजी भूमि

163

0.35

निजी भूमि

170

0.20

निजी भूमि

136

1.03

निजी भूमि

162

0.57

निजी भूमि

174

0.71

निजी भूमि

139/1

0.34

निजी भूमि

164/1

0.15

निजी भूमि

165/1

0.12

निजी भूमि

136/2

0.35

निजी भूमि

162/2

0.16

निजी भूमि

165/2

0.13

निजी भूमि

166

0.38

निजी भूमि

167/1

0.17

निजी भूमि

167/2

0.17

निजी भूमि

15/1

0.57

निजी भूमि

137

0.85

निजी भूमि

168

0.15

निजी भूमि

171

0.22

निजी भूमि

176/2

1.21

निजी भूमि

175

0.57

निजी भूमि

(1)

441/2

441/3

645

646

131/1

132/2

131/3

134

442/1

442/2

443/2

89

125

126

125/1

91

124

132/2

643/2

2.84

3.21

0.36

1.20

1.00

0.72

0.04

0.91

2.84

3.21

0.36

1.20

1.00

0.72

0.04

31.95

(2)

1.00

0.40

0.40

0.90

0.90

0.58

0.41

0.41

0.48

0.91

0.58

0.41

0.41

0.48

0.91

0.58

0.41

0.41

0.48

0.91

0.58

0.41

0.41

0.48

0.91

0.58

0.41

0.41

0.48

0.91

0.58

0.41

0.41

0.48

0.91

0.58

0.41

0.41

0.48

0.91

(3)

निजी भूमि

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

प्र.क्र. 004-अ 82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—भरा	(1)	(2)	(3)		
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.98 हेक्टर.	126	0.04	निजी भूमि		
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार			
(1)	(2)	(3)			
129	0.07	निजी भूमि	127	0.07	निजी भूमि
288	2.33	निजी भूमि	128	0.11	निजी भूमि
673	0.28	निजी भूमि	991/1311	0.04	निजी भूमि
682	0.02	निजी भूमि			
674	0.15	निजी भूमि	कुर रकबा निजी भूमि ..	8.98	
676	0.10	निजी भूमि			
677	0.32	निजी भूमि			
678	0.02	निजी भूमि			
680	0.20	निजी भूमि			
681	0.06	निजी भूमि			
686	1.57	निजी भूमि			
687	0.24	निजी भूमि			
689	0.06	निजी भूमि			
690	0.39	निजी भूमि			
692	0.12	निजी भूमि			
691	0.04	निजी भूमि			
693	0.14	निजी भूमि			
694	0.06	निजी भूमि			
695	0.03	निजी भूमि			
699	0.09	निजी भूमि			
700	0.10	निजी भूमि			
701	0.24	निजी भूमि			
709	0.42	निजी भूमि			
706	0.23	निजी भूमि			
707/1315	0.16	निजी भूमि			
708	0.17	निजी भूमि			
981	0.03	निजी भूमि			
982	0.05	निजी भूमि			
984	0.03	निजी भूमि			
987	0.04	निजी भूमि			
274	0.06	निजी भूमि			
275	0.08	निजी भूमि			
278	0.12	निजी भूमि			
280	0.12	निजी भूमि			
284	0.03	निजी भूमि			
286	0.07	निजी भूमि			
131	0.27	निजी भूमि			
279	0.21	निजी भूमि			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—भरा तालाब योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 005-अ 82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—शाहनगर
- (ग) ग्राम—रगौली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.27 हेक्टर।

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
	1965/1 (ख)	निजी भूमि
	1965/1 (ग)	निजी भूमि
	1965/2	निजी भूमि
	2248	निजी भूमि
	2337	निजी भूमि
	2258	निजी भूमि
		निजी भूमि
	2335/2	निजी भूमि
	2341	निजी भूमि
	2343	निजी भूमि
	2345	निजी भूमि
	2346	निजी भूमि
	2347	निजी भूमि
	2348	निजी भूमि
	2349	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
2350	0.08	निजी भूमि
2371	0.01	निजी भूमि
2372	0.27	निजी भूमि
2373	0.03	निजी भूमि
2351	0.13	निजी भूमि
2352	0.03	निजी भूमि
2353	0.02	निजी भूमि
2354	0.17	निजी भूमि
2355	0.01	निजी भूमि
2356	0.04	निजी भूमि
2359	0.05	निजी भूमि
2366	0.03	निजी भूमि
2367	0.02	निजी भूमि
2368	0.07	निजी भूमि
2369	0.01	निजी भूमि
2370	0.03	निजी भूमि
कुर रकबा निजी भूमि ..		6.27

(1)	(2)	(3)
612	0.72	निजी भूमि
613	0.17	निजी भूमि
6198	0.436	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि ..	2.496	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है,—कृषि उपज मण्डी समिति पर्वई के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी प्रांगण निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कृषि उपज मण्डी पर्वई में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

पत्र क्र. 11 अ-82-भू-अर्जन-हटा-2010-2402.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची संपत्ति की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

पन्ना, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

प्र.क्र. 13-अ-19-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—पर्वई
- (ग) ग्राम—जूही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.496 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
436	0.90	निजी भूमि
610	0.27	निजी भूमि

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

निवाईमाफी

263	0.24
235 में से	0.48
236/2 में से	0.38
261	0.02
241	0.40
254	0.31

(1)	(2)	(1)	(2)
242 में से	0.72	49 में से	0.35
257	0.15	74 में से	0.17
244	0.46	78 में से	2.50
315	0.35	79/1	0.24
320/1 में से	1.07	79/2	0.80
246 में से	0.80	79/3	0.80
248 में से	0.09	80	2.41
255	0.55	81	0.94
256	0.10	82/1 में से	0.37
259	0.06	82/2	0.81
260 में से	0.10	82/3	0.81
314 में से	0.19	82/4 में से	0.22
303/2 में से	0.10	83 में से	0.09
304 में से	0.20	84/2 में से	0.05
305	0.23	92 में से	0.39
313 में से	0.09	93/1 में से	0.07
306 में से	0.07	93/2	0.80
316 में से	0.25	94/4	0.55
318 में से	0.10	96/1 में से	0.13
320/2 में से	0.40	94/2	0.54
320/4 में से	1.00	95/2 में से	1.45
324 में से	2.50	10 में से	13.00
323	1.85	40	0.31
322	0.10	योग . .	<u>33.19</u>
321	1.47		
300	0.02		
262	0.07		
258	0.22		
240 में से	3.30		
243	0.09		
245 में से	0.19		
249	0.12		
252 में से	0.37		
योग . .	<u>19.21</u>		

मझागवां अमान

27/1 में से	0.08	966/1 में से	1.00
27/2	0.80	969 में से	0.90
28	0.65	965	3.78
77 में से	0.04	960 में से	0.10
31/2 में से	0.23	970	2.89
36/1 में से	0.35	971	1.70
36/2 में से	0.34	972	1.10
39/1 में से	0.53	973	1.10
39/2 में से	0.27	974 में से	2.68
41/1 में से	1.87	975 में से	1.20
41/2 में से	0.23		

(1)	(2)
976/1	1.38
976/6 में से	1.13
976/2	1.21
976/3 में से	0.64
976/4	1.21
976/5	0.80
977	1.92
978	0.68
979	1.00
980 में से	0.08
964	0.10
योग . .	<u>30.65</u>
निवाईमाफी . .	<u>19.21</u>
मझागवां अमान . .	<u>33.19</u>
हिनौताकला . .	<u>30.65</u>
महायोग . .	<u>83.05</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पिपरिया जलाशय योजना एवं स्पिल चैनल के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर सर्वे संभाग हटा जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. एस. सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—बड़वानी
- (ग) ग्राम का नाम—बलखड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.757 हेक्टर।

खसरा नम्बर

अधिगृहित किया
जाने वाला क्षेत्रफल
(हेक्टर में)

(1)	(2)
7/1	0.202
7/5	0.283
7/6	0.060
8/2	0.283
11/2	0.587
12, 13/1, 13/2	0.259
13/4	0.210
15	0.202
31/2	0.032
31/5	0.032
31/14	0.028
33/3	0.081
33/5	0.020
35/5	0.628
36/2, 36/4	0.850
योग . .	<u>3.757</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर एवं उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्य हेतु।

नोट— भूमि का नक्शा (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्र. 1678-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 31-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

दतिया, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्र. 2-अ-82-010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—नुनवाहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—9.47 हेक्टर.

खसरा नंबर	भूमि रक्का	मकान का रक्का	कुआं का रक्का	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
924/1क	3.85	0.01	0.01	3.87
924/2ख	0.15		0.01	0.16
965/1ख	1.86	0.18	0.01	2.05
965/2ख	0.02			0.02
966/2	1.23	0.02		1.25
967	0.59		0.01	0.60
970	0.62		0.01	0.63
971	0.27			0.27
968	0.12			0.12
969	0.20			0.20
972/2	0.30			0.30
योग . .	9.21	0.21	0.05	9.47

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है—झांसी-शिवपुरी रोड पर ग्राम नुनवाहा तह. व जिला दतिया बार्डर चैक पोस्ट निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**
धार, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

क्र. 1973-वाचक-प्र. क्र.-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—मनावर
- (ग) ग्राम—भुवादा (पूरक प्रकरण)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.125 हेक्टर.

सर्वे नंबर निजी (1)	अर्जित रक्का (हेक्टर में) (2)
129/1, 128/2, 127/1ख	0.170
154/1] क	0.140
154/2] ख	0.060
154/2]]	
167/1/1	0.065
167/1/2	0.065
120/1	0.120
120/2	0.120
269/2	0.052
270/2	0.040
271/1	0.010
272/1	0.100
272/2	0.183
योग . .	1.125

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ऑकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118260 मी. से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर क्र. 60 एवं मुख्य नहर के निर्माण हेतु पूरक प्रकरण।
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।